"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर.17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 मई 2003—ज्येष्ठ 9, शक 1925

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक एफ 2-29/2003/1-8.—श्री के. सी. यादव (भा. व. से.), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदेन विशेष सचिव, छ. ग. शासन, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग भी घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. के. मिश्र**, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 मई 2003

क्रमांक 292/2003/1-8/स्था.—श्री पी. सी. सूर्य, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 16-4-2003 से 28-4-2003 तक 13 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. सूर्य को पुन: उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री सूर्य को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सूर्य अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 7 मई 2003

क्रमांक 292/2003/1-8/स्था.—श्री पी. सी. सूर्य, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 7-5-2003 से 13-5-2003 तक 7 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 14 मई, 2003 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. सूर्य को पुनः उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री सूर्य को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सूर्य अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक 931/1243/2003/1-8.—श्री एस. व्ही. दाण्डेकर, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के अर्जित अवकाश की अवधि दिनांक 5-5-2003 से 31-5-2003 तक के लिये श्री बी. एल. ठाकुर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पंकज द्विवेदी**, प्रमुख सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 890/221/2003/1-8/स्था.—श्री एस. व्ही. दाण्डेकर, अवर सचिव, मुख्यमंत्री, कार्यालय को दिनांक 5-5-2003 से 31-5-2003 तक (27 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 4 मई एवं 1 जून 2003 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दाण्डेकर को पुनः मुख्यमंत्री कार्यालय में अवर सचिव के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री दाण्डेकर को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री दाण्डेकर यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**चन्द्रहास बेहार**, विशेष सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 1103/992/2003/साप्रवि/2/लीव.—श्री एल. एन. सूर्यवंशी, कलेक्टर, बस्तर को दिनांक 1-5-2003 से 9-5-2003 तक (9 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10 एवं 11-5-2003 के शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. एन. सूर्यवंशी को आगामी आदेश तक कलेक्टर, बस्तर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री सूर्यवंशी को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सूर्यवंशी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

5. श्री सूर्यवंशी के अवकाश काल में श्री निर्मल खाखा, अपर कलेक्टर, बस्तर अपने कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, बस्तर का कार्य भी संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विभा चौधरी**, अवर सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 9 मई 2003

क्रमांक 1132/995/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री शैलेश कुमार पाठक, प्रबंध संचालक, सी. आई. डी. सी., संचालक, संस्थागत वित्त, पदेन संयुक्त सचिव, वित्त को दिनांक 2-6-2003 से 13-6-2003 तक (12 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 1-6-2003 एवं 14, 15-6-2003 को शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री पाठक को अवकाश से लौटने पर प्रबंध संचालक, छ. ग. अधोसंरचना विकास निगम, संचालक, संस्थागत वित्त, पदेन संयुक्त सचिव, वित्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाठक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

4. श्री शैलेश पाठक को अवकाश अवधि में उन्हें वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

रायपुर, दिनांक 9 मई 2003

क्रमांक 1134/892/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री मनोहर पांडेय, संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को इस विभाग के आदेश क्रमांक 1025/892/2003/साप्रवि/1/2/लीव, दिनांक 30-4-2003 द्वारा दिनांक 19-5-2003 से 31-5-2003 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

2. श्री मनोहर पांडेय के अवकाश अवधि में उनका चालू प्रभार श्री आर. पी. जैन, उप सचिव, वन विभाग अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3. इस विभाग के आदेश दिनांक 30-4-2003 में अंकित बिन्दु क्रमांक 2 से 4 यथावत् रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. के. बाजपेयी,** अवर सचिव.

---

## श्रम विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ 9-3/16/2002.—राज्य शासन द्वारा श्री धर्मेन्द्र स्वरूप जैन, सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव, विधि विभाग, मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन को इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-16-ए/08/स्था./श्रम दिनांक 1-8-2002 द्वारा अध्यक्ष औद्योगिक न्यायालय छत्तीसगढ़ राज्य के पद पर उनकी 65 वर्ष आयु पूर्ण होने की अवधि तक के लिये नियुक्त किया गया है.

2. अध्यक्ष औद्योगिक न्यायालय छत्तीसगढ़ श्री धर्मेन्द्र स्वरूप जैन को उक्त पद पर कार्यकाल के दौरान निम्नानुसार वेतन एवं सुविधाएं प्राप्त होंगी :—

1. **वेतन** : (26000/- निश्चित) उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश के समान वेतन प्रमुख सचिव, विधि विभाग के पद से सेवानिवृत्त होने के पूर्व प्राप्त अंतिम वेतन में से निर्धारित पेंशन एवं अन्य पेंशनरी लाभ जिनकी हो, के समतुल्य राशि को घटाकर देय राशि.

2. **भत्ता एवं अन्य सुविधाएं** : उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश के अनुरूप.

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन कमांक 495/R 406/B-1/चार/03 दिनांक 31-3-2003 के द्वारा महालेखाकार रायपुर को पृष्ठांकित की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. सी. गुप्ता,** अवर सचिव.

---

## पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2003

क्रमांक 658/808/32/2003.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संचालक, नगरीय नियोजन एवं विकास का इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु "संचालक" नियुक्त करता है.

Raipur, the 17th April 2003

No. 658/808/32/2003.—In exercise of the powers conferred under Section 3 of Chhattisgarh Town & Country Planning Act, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government, hereby, appoint the Director, Urban Planning and Development as "DIRECTOR" for the purpose of this Act.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जे. एस. दीक्षित,** अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 मई 2003

क्रमांक एफ 1-39/2003/न. वि./18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत कोन्टा, जिला-दंतेवाड़ा (दक्षिण-बस्तर) को नगर पंचायत कोन्टा गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है.

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत कोन्टा का विवरण निम्नानुसार है :—

| क्रमांक | ग्राम का नाम | जनसंख्या |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | कोन्टा | 4419 |

अनुसूची-2

कोन्टा नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत कोन्टा की सीमाएं ही नगर पंचायत कोन्टा की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर, दंतेवाड़ा (दक्षिण-बस्तर) को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 9th May 2003

No. F 1-39/2003/UAD/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby signify there intention to constitute a Nagar Panchayat Konta in place of Gram Panchayat Konta in District Dantewada (South-Bastar)

SCHEDULE - I

The particulars of the Proposed Nagar Panchayat Konta is as under :—

| No. | Name of Village | Population |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Konta | 4419 |

SCHEDULE - II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Konta is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Konta shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Konta.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Dantewada (South-Bastar) on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अल्ताफ अहमद**, अवर सचिव.

## उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ 73-45/2003/उशि/38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो "नेटवर्क्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मल्टी मॉडल ग्लोबल एजूकेशन एक्सचेन्ज" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय भिलाई (छत्तीसगढ़) में होगा.
2. राज्य शासन एतद्द्वारा "नेटवर्क्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मल्टी मॉडल ग्लोबल एजूकेशन एक्सचेंज" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अंतर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 29th April 2003

No. F 73-45/2003/H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "Networked University of Multi-modal Global Education Exchange" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Bhilai (C.G.).
2. The State Government, hereby, authorises "Networked University of Multi-modal Global Education Exchange" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 19 मई 2003

क्रमांक 2091/एफ 73-77/2002/उ.शि./38.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 25 (2) के अंतर्गत श्री रावतपुरा सरकार अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, रायपुर के शासी निकाय द्वारा प्रस्तुत, विश्वविद्यालय की प्रथम संविधियों की उपनियम (4) के अंतर्गत सहमति प्रदान करता है, तथा उपनियम (5) के अंतर्गत प्रस्तुत 17 प्रथम संविधियां अनुमोदित करता है.

यह संविधियां राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सी. एस. डेहरे**, अवर सचिव.

## राजस्व विभाग

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 मई 2003

क्रमांक 299/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/02/अ-82/98-99—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | गरियाबंद | गोंदलाबहरा | 5.10 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद. | भैरा जलाशय योजना के दायीं मुख्य नहर निर्माण हेतु. |

रायपुर, दिनांक 6 मई 2003

क्रमांक 300/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/48/अ-82/93-94—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | गरियाबंद | आड़पाथर | 1.35 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद. | आड़पाथर जलाशय योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु. |

रायपुर, दिनांक 6 मई 2003

क्रमांक 301/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/38/अ-82/93-94—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | गरियाबंद | भरूवामुड़ा | 0.73 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद. | आड़पाथर जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. |

रायपुर, दिनांक 6 मई 2003

क्रमांक 302/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/39/अ-82/93-94—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | गरियाबंद | फुलझर | 16.05 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद. | सलप जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र के लिये. |

रायपुर, दिनांक 6 मई 2003

क्रमांक 303/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/62/अ-82/93-94—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | देवभोग | बाड़ीगांव | 0.95 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद. | आड़पाथर जलाशय योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु. |

रायपुर, दिनांक 6 मई 2003

क्रमांक 304/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/37/अ-82/93-94—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | देवभोग | बाड़ीगांव | 2.10 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद. | आड़पाथर जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. |

रायपुर, दिनांक 6 मई 2003

क्रमांक 305/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/07/अ-82/98-99—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक ) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | गरियाबंद | भैरा | 0.07 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद. | भैरा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण. |

रायपुर, दिनांक 6 मई 2003

क्रमांक 306/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/46/अ-82/93-94—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक ) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | देवभोग | देवभोग | 3.11 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद. | आड़पाथर जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. |

रायपुर, दिनांक 6 मई 2003

क्रमांक 307/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक ) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | गरियाबंद | भरूवामुड़ा | 2.45 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद. | भरूवामुड़ा जलाशय के उलट नाली निर्माण हेतु. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सी. के. खेतान,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | रायगढ़ | पतरापाली प.ह.नं. 14 | 15.476 | महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़. | औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन. |
| | | खैरपुर प.ह.नं. 14 | 10.716 | | |
| | | योग | 26.192 | | |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सुबोध कुमार सिंह,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/661.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | डभरा | केनापाली प.ह.नं. 3 | 0.911 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा. | नवापारा ब्रांच नहर निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/662.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | डभरा | सरायपाली प.ह.नं. 2 | 2.995 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा. | सरायपाली ब्रान्च माइनर. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/663.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | डभरा | कोमो प.ह.नं. 3 | 2.333 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा. | कोमो माइनर नहर निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/664.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | डभरा | ठनगन प.ह.नं. 8 | 3.371 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा. | ठनगन माइनर. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/665.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | डभरा | फरसवानी प.ह.नं. 7 | 1.216 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | ब्रांच माइनर नं. 2 नहर निर्माण (खैरा माइनर के अंतर्गत) |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/666.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | डभरा | फरसवानी प.ह.नं. 7 | 5.794 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा. | खैरा माइनर. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/667.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | डभरा | कुसुमझर प.ह.नं. 9 | 4.008 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा. | खुरघटी माइनर नहर निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/668.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | डभरा | धुरकोट प.ह.नं. 3 | 0.769 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा. | धुरकोट माइनर. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | डभरा | ओड़ेकेरा प.ह.नं. 9 | 3.772 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा. | धुरकोट उप वितरक सिंघी-तराई माइनर/सराईपाली माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/669.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | आंडील प.ह.नं. 7 | 5.074 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा. | भागोडीह माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/670.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | चारपारा | 1.556 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा. | चारपारा सब माइनर (नगझर माइनर) |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. आर. सारथी,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## राजस्व विभाग
### कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 14 मई 2003

क्र. 652/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जैजैपुर, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.112 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 5170/2 | 0.008 |
| 5169/1 | 0.012 |
| 5170/3 | 0.004 |
| 6198/1 | 0.004 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 5170/4 | 0.004 |
| 6198/2 | 0.004 |
| 6199/1 | 0.008 |
| 6169 | 0.020 |
| 6199/2 | 0.008 |
| 6170 | 0.239 |
| 6214/1 | 0.016 |
| 6212/1 | 0.024 |
| 6212/2 | 0.032 |
| 6192/1 | 0.061 |
| 6195 | 0.032 |
| 6212/3 | 0.008 |
| 6205 | 0.143 |
| 6206 | |
| 6202 | 0.012 |
| 6201 | 0.016 |
| 6203 | 0.012 |
| 6200 | 0.032 |
| 6231/2 | 0.012 |
| 6232 | 0.004 |
| 6237 | 0.004 |
| 6233 | 0.004 |
| 6234 | 0.004 |
| 6235/1 | 0.004 |
| 6236 | 0.004 |
| 6246/1 | 0.049 |
| 6246/2 | 0.139 |
| 6213 | 0.085 |
| 5000/1 | 0.053 |
| 4849 | 0.040 |
| 6188/1 | 0.040 |
| 6188/2 | |
| 6190/1 | 0.036 |
| 6191/1-2 | 0.073 |
| 6193 | 0.028 |
| 6194 | 0.012 |
| 6192/2 | 0.020 |
| 6196 | 0.024 |
| 6197 | 0.036 |
| 5096/2 | 0.056 |
| 5096/1 | 0.040 |
| 4810 | 0.049 |
| 5169/2 | 0.089 |
| 5001 | 0.008 |
| 5004 | 0.016 |
| 5005 | 0.024 |
| 5007 | 0.045 |
| 5008/1 | 0.004 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 5011 | 0.053 |
| 5010 | 0.016 |
| 5012/1 | 0.020 |
| 5012/2 | 0.016 |
| 4850 | 0.012 |
| 4836 | 0.057 |
| 4852 | 0.008 |
| 4856 | 0.049 |
| 4857/1 | 0.053 |
| 4851 | 0.024 |
| 4841 | 0.061 |
| 4842 | 0.012 |
| 4835 | 0.016 |
| 4828 | 0.045 |
| 4534/3 | 0.004 |
| 4827/9 | 0.065 |
| 4837/2 | |
| 4826 | 0.024 |
| 4824 | 0.016 |
| 4825 | 0.016 |
| 4542 | 0.020 |
| 4823/1-2 | 0.024 |
| 4822 | 0.020 |
| 3613 | 0.004 |
| 4821/2 | 0.020 |
| 4811 | 0.036 |
| 4815/1 | 0.020 |
| 4598/1 | 0.020 |
| 4501 | 0.024 |
| 4517 | 0.004 |
| 4532 | 0.004 |
| 4534/1 | 0.065 |
| 4534/2 | 0.068 |
| 4536/1 | 0.065 |
| 4536/2 | 0.065 |
| 4541 | 0.077 |
| 4545 | 0.123 |
| 4549 | 0.024 |
| 4546 | 0.012 |
| 4540 | 0.053 |
| 4524/2 | 0.045 |
| 4227/2 | 0.127 |
| 4228/2 | |
| 4229/1 | |

| (1) | | (2) |
|---|---|---|
| 4525/1 | | 0.016 |
| 4543 | | 0.073 |
| 3549 | | 0.040 |
| 3592/1 | क | 0.004 |
| 3593 जु. | | |
| 3594/1 | | |
| 3595 | | |
| 3592/1 | ख | 0.061 |
| 3593 जु. | | |
| 3594/1 | | |
| 3595 | | |
| 3592/1 | ग | 0.053 |
| 3593 जु. | | |
| 3594/1 | | |
| 3595 | | |
| 3592/1 | | 0.004 |
| 3593 जु. | | |
| 3594/1 | | |
| 3595 | | |
| 3591 | | 0.089 |
| 3592/2 | | 0.133 |
| 3594/2 | | 0.004 |
| 6376/4 | | 0.085 |
| 4816 | | 0.032 |
| 4817 | | 0.028 |
| 3589/2 | | 0.045 |
| 3612/1 | | 0.008 |
| 3623 | | 0.048 |
| 3624 | | 0.016 |
| 3626 | | 0.008 |
| 3625 | | 0.008 |
| 3612/2 | | 0.016 |
| 3627 | | 0.141 |
| 5161 | | 0.012 |
| योग | | 4.112 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जैजैपुर माइनर क्रमांक II नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 14 मई 2003

क्र. 653/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बरदुली, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.774 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| **गुडरू माइनर** | |
| 418/4 | 0.157 |
| 421/4 | 0.040 |
| 421/5 | 0.045 |
| 421/1 | 0.020 |
| 423 | 0.113 |
| 425 | 0.040 |
| 426 | 0.109 |
| 430 | 0.053 |
| 429 | 0.040 |
| 431 | 0.024 |
| योग | 0.641 |
| **बरदुली** | |
| 514/2 | 0.008 |
| 514/1 | 0.024 |
| 392/5 | 0.097 |
| 392/1 ङ | 0.004 |
| 392/4 | 0.146 |
| 392/7 | 0.073 |
| 392/6 | 0.016 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 392/1 ह | 0.032 |
| 392/1 ज | 0.040 |
| 385 | 0.020 |
| 384 | 0.049 |
| 387 | 0.004 |
| 388/3 | 0.061 |
| 383 | 0.004 |
| 376/1 | 0.049 |
| 80/2 | 0.073 |
| 81 | 0.057 |
| 82 | 0.053 |
| 80/1 | 0.004 |
| 83/2 | 0.097 |
| 83/3 | 0.012 |
| 83/1 | 0.121 |
| 83/4 | 0.089 |
| 90/1 | 0.093 |
| 89/2 | 0.040 |
| 89/1 | 0.077 |
| 91/2 | 0.016 |
| 91/7 | 0.121 |
| 96 | 0.045 |
| 95 | 0.045 |
| 97 | 0.024 |
| 98 | 0.032 |
| 101/1 | 0.024 |
| 101/2 | 0.105 |
| 99, 100 | 0.028 |
| 91/1 | 0.069 |
| 101/3 | 0.061 |
| 102/2 | 0.004 |
| 102/1 | 0.133 |
| 122 | 0.024 |
| 123/1 | 0.049 |
| 123/2 | 0.020 |
| 121 | 0.045 |
| 120 | 0.036 |
| 386 | 0.040 |
| 79 | 0.024 |
| योग | 2.284 |

**बरदुली प. ह. नं. 19**

| (1) | (2) |
|---|---|
| 80/1 | 0.045 |
| 79 | 0.065 |
| 78, 77 | 0.089 |
| 75/4 | 0.045 |
| 75/3 | 0.089 |
| 76 | 0.040 |
| 75/1 | 0.020 |
| 70/2 | 0.012 |
| 70/1 | 0.028 |
| 69/2 | 0.032 |
| 69/1 | 0.004 |
| 68/1 | 0.064 |
| 67 | 0.049 |
| 65 | 0.020 |
| 66 | 0.057 |
| 26/1 | 0.057 |
| 29 | 0.117 |
| 28/1 | 0.016 |
| 28/2 | 0.077 |
| योग | 0.926 |

**बरदुली प. ह. नं. 19**

| (1) | (2) |
|---|---|
| 657/2 | 0.182 |
| 746 | 0.093 |
| 740/2 | 0.032 |
| 740/3 | 0.012 |
| 741 | 0.028 |
| 739 | 0.040 |
| 733 | 0.077 |
| 734 | 0.048 |
| 735 | 0.061 |
| 736/1 | 0.020 |
| 736/2 | 0.044 |
| 696/5 | 0.146 |
| 737/1 | 0.002 |
| 737/2 | 0.012 |
| 696/2 | 0.121 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 696/4 | 0.024 |
| 718/1 | 0.105 |
| 717/1 | 0.048 |
| 717/2 | 0.008 |
| 718/4 | 0.036 |
| 716/1 | 0.048 |
| 200/1-3 | 0.073 |
| 712-713 | 0.008 |
| 699 | 0.008 |
| योग | 1.276 |

**बरदुली प. ह. नं. 19**

| | |
|---|---|
| 686/2 | 0.008 |
| 617/1 | 0.061 |
| 618, 619 | 0.057 |
| 621/1 | 0.048 |
| 621/2 | 0.024 |
| 622 | 0.065 |
| 628 | 0.012 |
| 625 | 0.004 |
| 629/5 | 0.020 |
| 629/4 | 0.061 |
| 629/2 | 0.097 |
| 629/1 | 0.069 |
| 611/1 | 0.012 |
| 610 | 0.044 |
| 604 | 0.065 |
| योग | 0.647 |
| महायोग | 5.774 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गुडरू माइनर, बोईरडीह माइनर, बोईरडीह ब्रांच माइनर, बरदुली माइनर 1-2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 14 मई 2003

क्र. 654/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जर्वे, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.655 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 245 | 0.057 |
| 246/2 | 0.060 |
| 247 | 0.004 |
| 248 | 0.036 |
| 249 | 0.053 |
| 306/2 | 0.103 |
| 306/1 | 0.110 |
| 305/2 | 0.030 |
| 600 | 0.065 |
| 599, 601 | 0.130 |
| 740/1 | 0.061 |
| 603/2, 604 | 0.020 |
| 598/2 | 0.024 |
| 598/3 | 0.044 |
| 606 | 0.073 |
| 719/3 | 0.008 |
| 581 | 0.045 |
| 587 | 0.016 |
| 579, 580/2 | 0.057 |
| 574, 577 | 0.061 |
| 573 | 0.036 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 570 | 0.016 |
| 569/2 | 0.020 |
| 567 | 0.024 |
| 555 | 0.061 |
| 566 | 0.016 |
| 565 | 0.024 |
| 742/2 | 0.065 |
| 742/1 | 0.057 |
| 741/1 | 0.036 |
| 747/2 | 0.170 |
| 741/3, 4 | 0.016 |
| 742/9 | 0.057 |
| योग | 1.655 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गाड़ामोर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 14 मई 2003

क्र. 655/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सपिया, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 398/1 | 0.020 |
| 400 | 0.020 |
| योग | 0.040 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरसिया शाखा (पूरक) नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 मई 2003

क्र. 680/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-परसाडीह, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.828 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 477/1 | 0.020 |
| 477/2 | 0.110 |
| 152 | 0.036 |
| 513/7<br>514/3 | 0.174 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 153 | 0.040 |
| 486 | 0.105 |
| 154/1 | 0.028 |
| 154/2 | 0.028 |
| 155 | 0.004 |
| 513/3 | 0.045 |
| 512/5, 513/6 | 0.159 |
| 516/2 | 0.117 |
| 466/3 | 0.013 |
| 471 | 0.093 |
| 466/1, 466/2, 466/4 | 0.243 |
| 487/1 | 0.028 |
| 467 | 0.434 |
| 470 | 0.190 |
| 473, 474 | 0.348 |
| 475/1, 2 | 0.198 |
| 507/1, 2, 3 | 0.227 |
| 511 | 0.097 |
| 513/1 | 0.170 |
| 514/1, 1641/1 | 0.146 |
| 1670, 1669 | 0.705 |
| 1671 | 0.101 |
| 1673 | 0.150 |
| 1674 | 0.283 |
| 2265, 487/1 | 0.536 |
| योग 29 | 4.828 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-परसाडीह डिस्ट्री ब्यूटरी.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 मई 2003

क्र. 681/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-अंजोरीपाली, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.472 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 1/1 | 0.036 |
| 1/2 | 0.061 |
| 123 | 0.020 |
| 3 | 0.028 |
| 4 | 0.028 |
| 5, 6 | 0.024 |
| 19, 20 | 0.085 |
| 21 | 0.040 |
| 22 | 0.024 |
| 11 | 0.057 |
| 10/1 | 0.032 |
| 10/2 | 0.057 |
| 119/2 | 0.085 |
| 179/1 | 0.012 |
| 178 | 0.008 |
| 176 | 0.036 |
| 177 | 0.053 |
| 119/1 | 0.057 |
| 119/4 | 0.065 |
| 438 | 0.097 |
| 119/3 | 0.053 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 119/8, 119/9 | 0.008 |
| 116/4 | 0.073 |
| 118 | 0.049 |
| 116/1 | 0.053 |
| 125 | 0.004 |
| 116/2 | 0.101 |
| 473/2 | 0.008 |
| 116/3 | 0.069 |
| 473/1 | 0.024 |
| 474/1 | 0.020 |
| 474/2 | 0.004 |
| 439/1, 439/2 | 0.065 |
| 478/1 | 0.032 |
| 487/4 | 0.004 |
| योग | 1.472 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अंजोरीपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 मई 2003

क्र. 656/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-ठेकुना भांठा, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.063 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| I | |
| 151, 150 | 0.162 |
| 149 | 0.077 |
| 152 | 0.057 |
| 151 | 0.089 |
| 148/2 | 0.142 |
| 120/3 | 0.004 |
| 147 | 0.150 |
| 120/1 | 0.113 |
| 136 | 0.194 |
| 139 | 0.004 |
| 137/1 | 0.053 |
| 134/8 | 0.057 |
| 221/1 | 0.065 |
| 136 | 0.130 |
| 131 | 0.004 |
| 134/1 | 0.049 |
| 221/2 | 0.069 |
| 134/15 | 0.061 |
| 133/3 | 0.134 |
| 132/2 | 0.061 |
| योग | 1.675 |
| II | |
| 9 | 0.057 |
| 3/1, 3/2 | 0.214 |
| 44 | 0.146 |
| 50/1 | 0.053 |
| 48, 51/3, 81, 82/1, 83 | 0.526 |
| 76/3 | 0.125 |
| 76/2 | 0.081 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 76/4 | 0.053 |
| 77/1 | 0.057 |
| 74/3 | 0.040 |
| 73 | 0.036 |
| योग | 1.388 |
| कुल योग | 3.063 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खैरमुड़ा माइनर/गिरगिरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 मई 2003

क्र. 657/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-अकोल जमोरा, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.911 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| **खैरामुड़ा माइनर लिटाईपाली ब्रांच माइनर I** | |
| 440 | 0.045 |
| 440 | 0.065 |
| 431/1 | 0.036 |
| 432 | 0.053 |
| 667 | 0.040 |
| 668/1 | 0.061 |
| 735/2 | 0.045 |
| 668/2 | 0.040 |
| 733 | 0.020 |
| 735/2 | 0.170 |
| 676/1 | 0.040 |
| 676/4 | 0.020 |
| 676/3 | 0.020 |
| 676/2 | 0.032 |
| 731/6<br>772 | 0.210 |
| 678/2 | 0.073 |
| 678/3 | 0.069 |
| 681/4 | 0.040 |
| 930/3 | 0.004 |
| 728/2 | 0.117 |
| 730<br>731 2 | 0.291 |
| 731/4 | 0.089 |
| 733 | 0.089 |
| 733 | 0.036 |
| 733 | 0.028 |
| 764/2 | 0.016 |
| 733 | 0.016 |
| 740/2 | 0.004 |
| 837/3 | 0.024 |
| 916/1<br>917/1 | 0.089 |
| 837/2 | 0.032 |
| 836 | 0.004 |
| 837/1 | 0.113 |
| 918/1 | 0.170 |
| 919<br>862 | 0.134 |
| 918/2 | 0.016 |
| 912 | 0.028 |
| 907/3 | 0.040 |
| 907/2 | 0.040 |
| 731/1<br>734/3<br>735/3 | 0.405 |
| योग 41 | 2.819 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| **खैरामुड़ा माइनर लिटाईपाली ब्रांच माइनर II** | |
| 17/2 | 0.138 |
| 17/4 | 0.057 |
| 35 | 0.174 |
| 364 | 0.024 |
| 19 | 0.004 |
| 36/2 | 0.089 |
| 36/1 | 0.053 |
| 368/1 | 0.028 |
| 36/3 | 0.065 |
| 55/1 | 0.069 |
| 54/1 | 0.049 |
| 54/2 | 0.028 |
| 58/1 | 0.032 |
| 63 | 0.061 |
| 59, 61 | 0.024 |
| 414/1 | 0.065 |
| 62 | 0.178 |
| 156/4 | 0.089 |
| 414/3 | 0.045 |
| 156/3 | 0.036 |
| 365/2 | 0.004 |
| 157 | 0.065 |
| 159 | 0.004 |
| 415 | 0.004 |
| 450, 448, 451 | 0.158 |
| 438/1 | 0.016 |
| 438/2 | 0.061 |
| 441 | 0.049 |
| 364 | 0.045 |
| 440 | 0.004 |
| 440/2 | 0.004 |
| 429 | 0.004 |
| 429/2 | 0.178 |
| 429/1 | 0.073 |
| 427/1, 2 | 0.117 |
| 429/2 | 0.008 |
| 426/1 | 0.048 |
| 426/2 | 0.053 |
| 424 | 0.053 |
| 402/3 | 0.016 |
| 359 | 0.093 |
| 402/1 | 0.113 |
| 361/1 | 0.040 |
| 421/1 | 0.069 |
| 361/2 | 0.093 |
| 363 | 0.024 |
| 374 | 0.045 |
| 377 | 0.093 |
| 377 | 0.004 |
| 378 | 0.097 |
| 436 | 0.040 |
| 423 | 0.105 |
| योग 53 | 3.092 |
| महायोग | 5.911 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खैरमुड़ा माइनर/लिटाईपाली ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 मई 2003

क्र. 658/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कोटमी, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.199 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
| --- | --- |
| (1) | (2) |

### ( 1 ) धुरकोट उप वितरिका

| (1) | (2) |
| --- | --- |
| 1029 | 0.117 |
| 1028 | |
| 1025 | |
| 1271/1 | 0.004 |
| 1014/16 | 0.101 |
| 1014/10 | 0.093 |
| 1014/4 | 0.049 |
| 1014/13 | 0.053 |
| 1012/4 | 0.040 |
| 1012/1 | 0.036 |
| 1012/3 | 0.045 |
| 1012/2 | 0.057 |
| 1012/5 | 0.036 |
| 1011/2 | 0.097 |
| 1006 | 0.004 |
| 1009 | 0.028 |
| 1004 | |
| 1008 | 0.045 |
| 743 | 0.057 |
| 1001/1, 2, 3, 4, 5 | 0.036 |
| 1002 | 0.040 |
| 744/1 | 0.065 |
| 744/2 | |
| 743 | 0.069 |
| 748 | 0.024 |
| 750/2 | 0.036 |
| 752 | 0.045 |
| 754 | 0.028 |
| 755/1 | 0.016 |
| 756/1 | 0.105 |
| 757 | |
| 760/1 | 0.053 |
| 768/3 | 0.049 |
| 766 | 0.089 |
| 768/2 | 0.016 |
| 767 | 0.085 |
| 768/6 | |
| 768/7 | 0.117 |
| 768/8 | |
| 922/1 | |
| 922/2 | 0.045 |
| 921/3 | 0.081 |
| 921/1 | 0.036 |
| 920/6 | 0.065 |
| 920/8 | 0.085 |
| 896/2 | 0.121 |
| 919 | 0.025 |
| 896/5 | 0.045 |
| 896/4 | 0.247 |
| 896/6 | |
| 898 | 0.093 |
| 897/8 | 0.097 |
| 899/2 | 0.008 |
| 897/6 | 0.004 |
| 901/1 | 0.178 |
| 897/12 | 0.032 |
| 897/3 | 0.093 |
| 897/2 | 0.041 |
| 893/1 ग | 0.045 |
| 897/1 | |
| योग 51 | 3.076 |

### ( 2 ) रेड़ा माइनर 7 R/1 R ब्रांच माइनर

| (1) | (2) |
| --- | --- |
| 756 | 0.073 |
| 755/1 | 0.024 |
| 755/2 | 0.069 |
| 810 | 0.089 |
| 809/1 | |
| 809/2 | 0.085 |
| 731/5 | 0.016 |
| 730/5 | |
| 815/2 | 0.036 |
| 816/3 | 0.004 |
| 816/2 | 0.008 |
| 815/3 | 0.141 |
| 485/10 | 0.093 |
| 485/12 | 0.081 |
| 485/5 | 0.077 |
| 485/11 | 0.008 |
| 485/6 | 0.105 |
| 490/2 | 0.065 |
| 491/2 | 0.036 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 491/1 | 0.016 |
| 494<br>493/4 | 0.077 |
| 498/3 | 0.040 |
| 498/5 | 0.032 |
| 498/2 | 0.057 |
| 498/8 | 0.024 |
| 499/1 | 0.036 |
| 509/2 | 0.061 |
| 507/2 | 0.036 |
| 580/3 ख | 0.077 |
| 578/2 | 0.036 |
| 581/1 | 0.057 |
| 616/2 | 0.053 |
| 616/5 | 0.040 |
| 574 | 0.004 |
| 615/5 | 0.057 |
| 615/3 | 0.045 |
| 614 | 0.121 |
| 613/1 | 0.053 |
| 599/1 क | 0.012 |
| 606<br>607 | 0.036 |
| 605/1<br>605/3 | 0.045 |
| 605/2 | 0.032 |
| 604 | 0.008 |
| 600 | 0.028 |
| 604/1 | 0.028 |
| 636 | 0.061 |
| 637 | 0.089 |
| 638/3 | 0.028 |
| 638/2 | 0.028 |
| 638/1 | 0.032 |
| 639 | 0.073 |
| 640/1 | 0.081 |
| 640/2 | 0.004 |
| 641 | 0.053 |
| 687/2 | 0.012 |
| 687/1 | 0.032 |
| 715/2<br>715/3 | 0.133 |
| 715/4 क | 0.061 |
| 714/1 क | 0.081 |
| 713/3 | 0.113 |
| योग 58 | 3.002 |

**( 3 ) रेड़ा माइनर/5 R ब्रांच माइनर**

| (1) | (2) |
|---|---|
| 83 | 0.040 |
| 84 | 0.049 |
| 75/6 | 0.085 |
| 75/5 | 0.170 |
| 75/4 | 0.113 |
| 75/7 | 0.073 |
| 75/3 | 0.040 |
| 75/7 | 0.053 |
| 65/1 | 0.061 |
| 65/2 | 0.040 |
| 62/6<br>64 | 0.158 |
| 143/2 | 0.061 |
| 143/1 | 0.081 |
| 169/2 | 0.138 |
| 169/4 | 0.069 |
| 171/2 | 0.028 |
| 173/1 | 0.049 |
| 172/1 | 0.125 |
| 172/6 | 0.049 |
| 172/4 | 0.004 |
| 172/5 | 0.028 |
| 210/1 | 0.081 |
| 211/2 | 0.020 |
| 209/2 | 0.028 |
| 208/1 | 0.032 |
| 208/2 | 0.49 |
| 208/3 | 0.049 |
| 218/1 | 0.020 |
| 216<br>249/1 | 0.061 |
| 218/2 | 0.004 |
| 217/4 | 0.032 |
| 248/2 | 0.085 |
| 245/2 | 0.073 |
| 245/1 | 0.045 |
| 246/2 | 0.028 |
| योग | 2.121 |
| कुल योग | 8.199 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-धुरकोट उप वितरिका/रेड़ा माइनर 1, 2, 3.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 मई 2003

क्र. 659/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-तुंडरी, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.147 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| **8 एल माइनर ( R D 00 to 2020 M)** | |
| 178/1 | 0.040 |
| 92 | 0.109 |
| 93 | |
| 96/1 | 0.093 |
| 97 | 0.053 |
| 103/2 | 0.016 |
| 98 | 0.012 |
| 103/1 | 0.008 |
| 99/2 | 0.105 |
| 102 | 0.121 |
| 125/3 | 0.016 |
| 126 | 0.012 |
| 122/5 | 0.036 |
| 250 | |
| 122/9 | 0.271 |
| 123/2 | |
| 125/2 | 0.008 |
| 138/5 | 0.101 |
| 138/6 | |
| 138/7 | |
| 138/1 | 0.045 |
| 138/4 क | 0.008 |
| 138/4 ख | 0.056 |
| 138/4 ग | 0.040 |
| 138/3 | 0.040 |
| 138/10 | 0.032 |
| 142 | 0.048 |
| 146/1 | 0.012 |
| 143 | 0.061 |
| 243 | 0.008 |
| 246 | 0.008 |
| 241 | 0.089 |
| 239 | 0.053 |
| 238/1 | 0.040 |
| 238/2 | |
| 351/1 | 0.202 |
| 351/2 | 0.053 |
| 351/6 | 0.008 |
| 356 | 0.150 |
| 403/2 | 0.060 |
| 403/1 | 0.114 |
| 402/1 | 0.020 |
| 402/2 | 0.061 |
| 400 | 0.020 |
| 440/10 | 0.028 |
| 440/1 | 0.162 |
| 490 | 0.121 |
| 453/1 | 0.101 |
| 454/1 | |
| 484 | 0.028 |
| 652 | |
| 455/3 | 0.028 |
| 482 | 0.040 |
| 752 | 0.012 |
| 473 | 0.008 |
| 477 | 0.190 |
| 274 | 0.008 |
| 89 | 0.004 |
| योग 50 | 2.959 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| **7 आर माइनर ( R D 00 M to 1785 M)** | |
| 78 | 0.032 |
| 77 | 0.024 |
| 71 | 0.130 |
| 76 | 0.012 |
| 75/1 | 0.012 |
| 73 | 0.016 |
| 72 | 0.040 |
| 1790/1 | 0.049 |
| 1790/5 | 0.020 |
| 1792/1 | 0.012 |
| 1791/2 | 0.045 |
| 1789/2 क | 0.105 |
| 1788 | 0.045 |
| 1809/12 | 0.040 |
| 1809/13 | 0.008 |
| 1809/14 | 0.012 |
| 1809/1 | 0.024 |
| 1809/2 | 0.008 |
| 1787 | 0.101 |
| 1786/2 | 0.028 |
| 1767 | 0.008 |
| 1765 | 0.089 |
| 1764/1 | 0.053 |
| 1756/1 | 0.028 |
| 1756/2 | 0.061 |
| 1756/3 | 0.028 |
| 1755 | 0.056 |
| 1757 | 0.008 |
| 1751 | 0.008 |
| 1750 | 0.040 |
| 1749/1 | 0.004 |
| 1749/2 | 0.045 |
| 1747 | 0.032 |
| 1744 | 0.045 |
| 1745 | 0.024 |
| 1911/3 | 0.081 |
| 1912 | 0.146 |
| 1913/1 ट | 0.045 |
| 1913/1 घ | 0.049 |
| 1913/1 झ | 0.061 |
| 1913/1 ज | 0.008 |
| 1913/2 क<br>1914/1 क | 0.065 |
| 1913/1 ग | 0.032 |
| 1914/1 ख | 0.045 |
| 1915/1 | 0.138 |
| 1919 | 0.113 |
| 1920/2 | 0.121 |
| 1926/2 | 0.150 |
| 1926/1 | 0.056 |
| 79 | 0.004 |
| योग 50 | 2.406 |

**9 आर माइनर 582**

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1482/4 | 0.069 |
| 2024/1 | 0.052 |
| 2026/1 | 0.117 |
| 2026/3 | 0.016 |
| 2025/1 | 0.061 |
| 2044 | 0.101 |
| 2045 | 0.020 |
| 2056/2 | 0.077 |
| 2056/3 | 0.036 |
| 2057/2 | 0.093 |
| 2057/3 | 0.040 |
| 2057/1 | 0.036 |
| 2057/5 | 0.024 |
| 2016/2 | 0.053 |
| 2047 | 0.008 |
| योग 15 | 0.803 |

**8 एल माइनर ( R D 00 to 608 M)**

| (1) | (2) |
|---|---|
| 482 | 0.028 |
| 483/1 | 0.076 |
| 652<br>484 | 0.230 |
| 486 | 0.040 |
| 726/1 | 0.032 |
| 727/2<br>727/3 | 0.004 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 726/2 | 0.045 |
| 724/1 | 0.040 |
| 724/2 | 0.060 |
| 723 | 0.008 |
| 717 | 0.279 |
| 720 | 0.004 |
| 714/1 | 0.020 |
| योग 13 | 0.866 |

**9 आर 1 एल ब्रांच माइनर**

| (1) | (2) |
|---|---|
| 2044 | 0.109 |
| 2027 | 0.101 |
| 2026/3 | 0.048 |
| 2040/2 | 0.012 |
| 2037/1 | 0.069 |
| 2037/2 | 0.028 |
| 2041/1 | 0.004 |
| 2039/1 | 0.048 |
| 2067 | 0.076 |
| 2068/1 | 0.080 |
| 2070 | 0.121 |
| 2068/2 | 0.016 |
| 2678/1, 2080/2 | 0.028 |
| 2078/3, 2080/3 | 0.157 |
| 2079 | 0.012 |
| 2074/1 | 0.040 |
| 2076, 2077/3 | 0.008 |
| 2072/2 | 0.004 |
| 2073 | 0.004 |
| 2072/3 | 0.068 |
| 2088/5 | 0.060 |
| 2087/2 | 0.020 |
| योग 22 | 1.113 |
| कुल योग | 8.147 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नवापारा उप शाखा वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 मई 2003

क्र. 660/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-तुंडरी, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.723 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| I | |
| 15/2 क | 0.142 |
| 16/2, 17/2 | 0.061 |
| 19, 20 | 0.267 |
| 15/2 ट | 0.045 |
| 15/2 क | 0.113 |
| 15/2 ठ | 0.032 |
| 15/2 ख | 0.178 |
| 32/1 ख | 0.028 |
| 15/2 ज | 0.121 |
| 36 | 0.093 |
| 35/4, 37/4 | 0.105 |
| 35/6, 37/6 | 0.049 |
| 38/1 | 0.049 |
| 38/1 | 0.052 |
| 39 | 0.085 |
| 38/2 | 0.073 |
| 35/3, 37/3 | 0.028 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 78 | 0.036 |
| 79/1 | 0.032 |
| 79/2 | 0.036 |
| 79/3 | 0.016 |
| 80 | 0.057 |
| 81/2 | 0.053 |
| 88 | 0.045 |
| 87 | 0.020 |
| 86 | 0.040 |
| 85/3 | 0.049 |
| 1781 | 0.069 |
| 1780 | 0.036 |
| 1778 | 0.036 |
| 1779 | 0.004 |
| 1777 | 0.040 |
| 1782/3 ङ | 0.061 |
| 1782/3 ग | 0.040 |
| 1782/3 च | 0.077 |
| 1782/2 | 0.008 |
| 1773 | 0.129 |
| 1771/1, 2 | |
| 1610 | 0.084 |
| 1607/1 | 0.008 |
| 1608/1 | |
| 1615 | 0.064 |
| 1616 | |
| 1618 | 0.085 |
| 1620 | 0.093 |
| 1621 | 0.065 |
| 1623 | |
| 1617 | 0.020 |
| 1619 | 0.020 |
| 1622 | 0.028 |
| 1626 | 0.077 |
| 1609 | 0.040 |
| 1628 | 0.158 |
| 1629 | |
| 1641 | 0.206 |
| 1636/3 | 0.121 |
| 1636/2 | 0.032 |
| 1636/1 | 0.028 |
| 1636/4 | 0.024 |
| 1657 | 0.069 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1658/1 | 0.073 |
| 1660 | 0.085 |
| 1662/2 | 0.223 |
| 1485/1 | 0.085 |
| 1482/16 | 0.061 |
| 1482/1 | 0.016 |
| 1478 | 0.089 |
| 1490 | 0.032 |
| 1491 | |
| 1474 | 0.194 |
| 1472 | 0.024 |
| 1468 | 0.158 |
| 1473 | |
| 1469 | |
| 1467/3 | 0.016 |
| 1467/4 | 0.040 |
| 1467/5 | 0.032 |
| 1461 | 0.008 |
| 1460 | 0.053 |
| 1458 | 0.032 |
| 1459 | |
| 1457/2 | 0.020 |
| 1393/1 | 0.101 |
| 1398 | 0.093 |
| 1395/1 | 0.012 |
| 1396/1 | |
| 1386/1 | 0.190 |
| 1403 | 0.081 |
| 1404/1 | 0.040 |
| 1404/2 | 0.040 |
| 1407/3 | 0.076 |
| 1407/2 | 0.073 |
| 1145 | 0.109 |
| 1142 | 0.089 |
| 1130 | 0.064 |
| 1141 | 0.008 |
| 1121/2 | 0.053 |
| 1135/3 | 0.045 |
| 1135/7 | 0.024 |
| 1135/8 | 0.024 |
| 1135/14 | 0.036 |
| 1133 | 0.069 |
| 15/2 ङ | 0.101 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1462 | 0.004 |
| 1388 / 1389/1 | 0.049 |
| 1390/1 | 0.045 |
| 1391 | 0.020 |
| 18 | 0.008 |
| योग | 6.322 |

II

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1393/1 | 0.100 |
| 1395/1 / 1396/1 | 0.068 |
| 1394 | 0.040 |
| 1382/2 | 0.097 |
| 1385 | 0.145 |
| 1382/1 | 0.056 |
| 1227/2 | 0.040 |
| 1227/1 | 0.040 |
| योग | 0.586 |

III

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1407/3 | 0.040 |
| 1149 | 0.024 |
| 1146 | 0.020 |
| 1147/1 | 0.028 |
| 1148 | 0.016 |
| 1151/1 | 0.081 |
| 1138/4 | 0.016 |
| 1152 | 0.162 |
| 1153 | 0.016 |
| 1172 | 0.004 |
| 1173/1 | 0.045 |
| 1175/1 | 0.064 |
| 1178/1 | 0.045 |
| 1179/1 | 0.040 |
| 1180 | 0.036 |
| 1181 | 0.016 |
| 1183 | 0.174 |
| 1190 | 0.073 |
| 1018 | 0.028 |
| 997/1 | 0.065 |
| 995 | 0.089 |
| 997/2 | 0.008 |
| 999 | 0.048 |
| 994/1 | 0.117 |
| 986 | 0.032 |
| 987 | 0.024 |
| 988 | 0.036 |
| 989 | 0.012 |
| 993/1 | 0.016 |
| 993/2 | 0.040 |
| योग | 1.415 |

IV

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1134 | 0.125 |
| 1099 | 0.049 |
| 1097 | 0.040 |
| 1096 | 0.081 |
| 1058 | 0.012 |
| 1095 | 0.020 |
| 1082 | 0.109 |
| 1080 | 0.069 |
| 1079/1 | 0.093 |
| 1079/2 | 0.121 |
| 1085/1 क | 0.012 |
| 1078 | 0.065 |
| 1077 | 0.093 |
| 1076 | 0.020 |
| योग | 0.909 |

V

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1133 | 0.234 |
| 1113 | 0.040 |
| 1115 | 0.020 |
| 1114 | 0.052 |
| 1112/2 | 0.045 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1111 | 0.052 |
| 1110 | 0.048 |
| योग | 0.491 |
| कुल योग | 9.723 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नवापारा उप शाखा वितरिका.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 मई 2003

क्र. 671/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-आडील, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.001 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| **भागोडीह माइनर** | |
| 831 | 0.020 |
| 828 | 0.081 |
| 825/1 | 0.012 |
| 827/1, 2 | 0.105 |
| 824/1 | 0.002 |
| 821/2 | 0.053 |
| 821/3 | 0.032 |
| 822/1 | 0.004 |
| 822/2 | 0.040 |
| 823/2 | 0.057 |
| 823/3 | 0.044 |
| 740 | 0.081 |
| 741/2 | 0.040 |
| 747/1 | 0.012 |
| 747/2 | 0.117 |
| 747/3 | 0.065 |
| 742/2 | 0.065 |
| 750 | 0.073 |
| 784/2 | 0.040 |
| 783/2 | |
| 785 | 0.040 |
| 786 | 0.020 |
| 787 | 0.016 |
| 788 | 0.004 |
| 789 | 0.004 |
| 790 | |
| 791 | |
| 431/2 | 0.008 |
| 431/3 | 0.004 |
| 430/1 | 0.012 |
| 429 | 0.012 |
| 428/1 | 0.004 |
| 430/2 | 0.008 |
| 430/3 | 0.008 |
| 442/1 | 0.004 |
| 442/2 | 0.002 |
| 427/1 | 0.004 |
| 427/2 | 0.004 |
| 426 | 0.008 |
| 425 | 0.008 |
| 424 | 0.008 |
| 423 | 0.008 |
| 422 | 0.006 |
| 421 | 0.006 |
| 420 | 0.006 |
| 419/1 | 0.004 |
| 419/2 | 0.004 |
| 418 | 0.006 |
| 417 | 0.006 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 416/1 | 0.004 |
| 416/2 | 0.004 |
| 415 | 0.006 |
| 414/1 | 0.004 |
| 414/2 | 0.004 |
| 413 | 0.008 |
| 412/1 | 0.008 |
| 412/2 | 0.008 |
| 412/3 | 0.012 |
| 411 | 0.016 |
| 410/1 | 0.008 |
| 410/2 | 0.008 |
| 410/3 | 0.008 |
| 409 | 0.016 |
| 443<br>444 | 0.016 |
| 448/1<br>455/1 | 0.040 |
| 448/2<br>455/2 | 0.053 |
| 449<br>454<br>456 | 0.101 |
| 331<br>450<br>453 | 0.101 |
| 307<br>451<br>458 | 0.089 |
| 305 | 0.004 |
| 306<br>309<br>452 | 0.069 |
| 296/2<br>308 | 0.073 |
| 295/2<br>296/3 | 0.040 |
| 294/2<br>297/1 | 0.085 |
| 298/1 | 0.081 |
| 268 | 0.073 |
| 267 | 0.089 |
| 266 | 0.081 |
| 258/2 | 0.069 |
| 256/1 | 0.004 |
| 256/2 | 0.040 |
| 255/1 | 0.016 |
| 154/1 | 0.028 |
| 137/1 | 0.028 |
| 137/2 | 0.012 |
| 133/3 | 0.044 |
| 133/1 | 0.049 |
| 132 | 0.057 |
| 140/2 | 0.040 |
| 130/4 | 0.049 |
| 130/7 | 0.040 |
| 130/1 | 0.028 |
| 155 | 0.004 |
| 131/2 | 0.032 |
| योग | 2.816 |

### भागोडीह माइनर

| (1) | (2) |
|---|---|
| 831 | 0.158 |
| 830 | 0.008 |
| 827/1, 2<br>828 | 0.004 |
| 829/1, 2, 3<br>1233 | 0.195 |
| 883/1 | 0.028 |
| 881 | 0.097 |
| 880<br>840/1 | 0.020 |
| 884/2<br>882 | 0.073 |
| 878<br>879 | 0.044 |
| 877 | 0.012 |
| 876 | 0.154 |
| 875 | 0.073 |
| 865 | 0.028 |
| 874 | 0.036 |
| 868 | 0.053 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 867 | 0.028 |
| 862 | 0.004 |
| 1127 | 0.081 |
| 1126 | 0.036 |
| 1128/1 | 0.002 |
| 1125 | 0.097 |
| 1124/1 | 0.061 |
| 1124/4 | 0.032 |
| 1148 | 0.020 |
| 1149/1 | 0.081 |
| 1149/2 | 0.053 |
| 1149/8 | 0.024 |
| 1150 | 0.057 |
| 1151 | 0.004 |
| 1152/1 | 0.022 |
| 1160 | 0.065 |
| 1161 | 0.081 |
| योग | 1.731 |

**भागोडीह माइनर**

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1026 | 0.016 |
| 1025/2 | 0.032 |
| 1025/1 | 0.024 |
| 1022 | 0.049 |
| 1020/3 | 0.036 |
| 1020/2 | 0.053 |
| 1019/1 | 0.063 |
| 1013, 1014, 1015, 1019/4 | 0.049 |
| 1012/2 | 0.051 |
| 1012/1 | 0.077 |
| 1002/5 | 0.004 |
| योग | 0.454 |
| कुल योग | 5.001 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भागोडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 मई 2003

क्र. 672/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-चारपारा, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.634 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 278 | 0.081 |
| 280, 281 | 0.081 |
| 282/2 | 0.028 |
| 282/3 | 0.028 |
| 282/4 | 0.008 |
| 321/5 | 0.020 |
| 319 | 0.077 |
| 320/1 | 0.028 |
| 548/1 | 0.020 |
| 325, 326/1 | 0.040 |
| 331/1 | 0.028 |
| 533/2 | 0.064 |
| 534/3 | 0.032 |
| 320/2 | 0.049 |
| 321/7 | 0.008 |
| 321/4 | 0.016 |
| 548/8 | 0.032 |
| 548/5 | 0.028 |
| 473/5 | 0.008 |
| 548/7 | 0.020 |
| 321/6 | 0.028 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 326/2 | 0.016 |
| 330 | 0.024 |
| 537/2 | 0.004 |
| 537/1 | 0.004 |
| 331/2 | 0.032 |
| 344 | 0.048 |
| 345/1 | 0.061 |
| 366/6 | 0.081 |
| 366/5 | 0.081 |
| 366/4 | 0.020 |
| 377/1 | 0.081 |
| 376 | 0.060 |
| 378 | 0.012 |
| 379/1 | 0.028 |
| 379/3 | 0.012 |
| 372/2 | 0.036 |
| 372 | 0.012 |
| 373/2 | 0.048 |
| 371/2 | 0.004 |
| 371/1 | 0.036 |
| 370/2 | 0.081 |
| 464/1 | 0.004 |
| 464/2 | 0.061 |
| 466/2 | 0.028 |
| 467/2 | 0.040 |
| 468 | 0.061 |
| 483/8 | 0.008 |
| 471/5 | 0.061 |
| 480 | 0.040 |
| 483/1 | 0.040 |
| 471/13 | 0.065 |
| 481 | 0.012 |
| 483/5 | 0.048 |
| 479/2 | 0.040 |
| 477/1 | 0.045 |
| 497/1 | 0.101 |
| 495/1 | 0.081 |
| 495/2 | 0.040 |
| 475/3 | 0.008 |
| 536/4 | 0.028 |
| 536/1 | 0.085 |
| 536/2 | 0.032 |
| 369 | 0.032 |
| 544 | 0.056 |
| 364 | 0.024 |
| 365 | 0.028 |
| 295 | 0.061 |
| योग | 2.634 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चारपारा सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 मई 2003

क्र. 672/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-चारपारा, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.556 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 252 | 0.028 |
| 254 | 0.020 |
| 253/3 | 0.008 |
| 253/4 | 0.049 |
| 253/2 | 0.032 |
| 255 | 0.180 |
| 248/6 | 0.065 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 261/1 | 0.040 |
| 261/2 | 0.036 |
| 261/13 | 0.073 |
| 261/14 | |
| 256 | 0.032 |
| 257/6 | 0.040 |
| 268/5 | 0.036 |
| 257/2 | 0.024 |
| 258/1 | 0.016 |
| 257/1 | 0.016 |
| 258/2 | 0.032 |
| 259 | 0.105 |
| 267/1 | 0.061 |
| 268/2 | 0.012 |
| 278 | 0.028 |
| 269/2 | 0.081 |
| 270/1 | 0.032 |
| 271/2 | 0.024 |
| 275/2 | 0.020 |
| 275/1 | 0.020 |
| 269/3 | 0.008 |
| 271/1 | 0.061 |
| 272 | |
| 273/1 | 0.061 |
| 273/2 | |
| 273/4 | |
| 276 | 0.024 |
| 277 | 0.016 |
| 284/2 | 0.028 |
| 285 | 0.061 |
| 288 | 0.065 |
| 289 | 0.065 |
| 290 | 0.057 |
| योग | 1.556 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चारपारा सब माइनर (नगझर माइनर).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 मई 2003

क्र. 673/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-मालखरौदा
 (ग) नगर/ग्राम-पिहरीद, प. ह. नं. 4
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.342 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 1194/3 | 0.040 |
| 1386/2 | 0.004 |
| 1194/2 | 0.045 |
| 1194/4 | 0.117 |
| 1195/1 | 0.032 |
| 1339/4 | 0.117 |
| 1385/3 | 0.004 |
| 1251 | 0.016 |
| 1178/1 | 0.028 |
| 1281/1 | 0.105 |
| 1249 | 0.138 |
| 1293/2 | 0.024 |
| 1250 | 0.024 |
| 1268 | 0.024 |
| 1269 | |
| 1290/2 | 0.121 |
| 1291/2 | 0.077 |
| 1292/2 | 0.057 |
| 1294 | 0.040 |
| 1179/2 | 0.032 |
| 1177/1 | 0.081 |
| 1175/1 | 0.061 |
| 1308 | 0.299 |
| 1309 | |
| 1310/1 | |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 1412 | 0.004 | 1364 | 0.032 |
| 1413 | 0.004 | 1364/2 | 0.004 |
| 1411 | 0.004 | 1365 | 0.036 |
| 1410/3 | 0.004 | 1366 | 0.032 |
| 1410/2 | 0.004 | 1373 | 0.024 |
| 1410/1 | 0.004 | 1374 | 0.085 |
| 1409 | 0.004 | 573/1 | 0.008 |
| 1339 | 0.004 | 570 | 0.020 |
| 1408 | 0.004 | 573/2 | 0.065 |
| 1407 | 0.004 | 576/2 | 0.057 |
| 1406 | 0.004 | 572 | 0.036 |
| 1405/5 | 0.004 | 571 | 0.073 |
| 1405/4 | 0.004 | 550/2 | 0.081 |
| 1405/3 | 0.004 | 551/3 | |
| 1405/2 | 0.004 | 334/1 ख | 0.061 |
| 1405/1 | 0.004 | 550/1 | 0.117 |
| 1404 | 0.004 | 551/1 | |
| 1403 | 0.004 | 538/26 | 0.101 |
| 323 | 0.138 | 538/17 | 0.028 |
| 1402 | 0.004 | 390/4 | 0.012 |
| 1384 | 0.004 | 538/11 | 0.016 |
| 1401 | 0.004 | 538/16 | 0.065 |
| 1400 | 0.004 | 334/5 | 0.134 |
| 1398 | 0.004 | 538/15 ख | 0.130 |
| 1397 | 0.004 | 527 | 0.142 |
| 1396 | 0.004 | 326 | 0.045 |
| 1395 | 0.004 | 526 | 0.073 |
| 1394 | 0.008 | 525/2 | 0.020 |
| 1393 | 0.004 | 583 | 0.154 |
| 1392 | 0.004 | 523 | 0.154 |
| 1391 | 0.004 | 522/1 | 0.061 |
| 1390/2 | 0.004 | 513/1 | 0.032 |
| 1390/1 | 0.004 | 512 | 0.045 |
| 1389 | 0.036 | 509/3 | 0.036 |
| 1388 | | 509/2 | 0.045 |
| 1387/2 | | 508/1 | 0.040 |
| 1387/1 | | 508/2 | 0.053 |
| 1386/1 | 0.004 | 500 | 0.166 |
| 1385/2 | 0.004 | 499/2 | 0.040 |
| 1385/1 | 0.004 | 498 | 0.020 |
| 1358/4 | 0.012 | 497/1 | 0.024 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 491 | 0.049 |
| 390/2 | 0.113 |
| 400/2 | 0.016 |
| 401/1 | 0.032 |
| 395/1 | 0.004 |
| 324 | 0.045 |
| 327 | 0.024 |
| 322/2 | 0.040 |
| 334/2 क | 0.081 |
| 334/2 ख | |
| 334/2 ग | |
| 334/2 घ | |
| 334/3 | 0.057 |
| 334/4 क | 0.081 |
| 334/4 ख | |
| 334/4 ग | |
| 334//4 घ | |
| 334/4 च | |
| 311/2 | 0.089 |
| 538/25 | 0.024 |
| 397/2 | 0.012 |
| 1375/1 | 0.016 |
| 1187 | 0.012 |
| 1188/2 | 0.040 |
| 1189 | 0.125 |
| 1199 | 0.008 |
| 1235/2 | 0.089 |
| 1234/3 | 0.008 |
| 1293/2 | 0.089 |
| 1192/1 | 0.024 |
| 1193/1 | 0.012 |
| 1192/2 | 0.057 |
| 1190 | 0.012 |
| 1998 | |
| 1996 | |
| योग | 5.342 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अमेराडीह सब माइनर .

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 मई 2003

क्र. 674/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-छपोरा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.411 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 14/1 | 0.024 |
| 19/1 | 0.024 |
| 15 | 0.036 |
| 16/1 | 0.049 |
| 16/4 | 0.012 |
| 20/2 | 0.053 |
| 20/1 | 0.008 |
| 19/2 | 0.057 |
| 64 | 0.004 |
| 50/1 | 0.049 |
| 1047/1 | 0.004 |
| 1286 | 0.020 |
| 1134 | 0.012 |
| 51/2 | 0.032 |
| 62 | 0.020 |
| 937 | 0.105 |
| 939/1 | 0.028 |
| 943/9 | 0.109 |
| 943/10 | 0.036 |
| 52/2 | 0.036 |
| 57 | 0.012 |
| 52/1 | 0.004 |
| 53/4 | 0.020 |
| 53/5 | 0.008 |
| 48/7 | 0.004 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1215/2 | 0.040 |
| 1215/5 | 0.040 |
| 48/3 | 0.020 |
| 45/5 | 0.032 |
| 46/2 | 0.053 |
| 46/1 | 0.020 |
| 45/13 | 0.016 |
| 45/1 | 0.004 |
| 45/15 | 0.016 |
| 44 | 0.117 |
| 966 | 0.271 |
| 965/2 | 0.138 |
| 1243 | 0.045 |
| 1248/3 | 0.008 |
| 955/7 | 0.182 |
| 1081/2 | 0.004 |
| 955/5 | 0.129 |
| 943/2 | 0.146 |
| 943/8 | 0.036 |
| 955/2 | 0.036 |
| 940/2 | 0.004 |
| 938/12 | 0.004 |
| 942/1 | 0.004 |
| 943/3 | 0.045 |
| 943/7 | 0.016 |
| 917/1 | 0.020 |
| 918/1 | 0.004 |
| 917/2 | 0.016 |
| 918/4 | 0.032 |
| 917/3 | 0.045 |
| 1054/3 | 0.093 |
| 1054/4 | 0.093 |
| 1054/2 | 0.097 |
| 1081/1 | 0.040 |
| 1080 | 0.032 |
| 1042/2 | 0.020 |
| 1082 | 0.036 |
| 1047/2 | 0.012 |
| 1220 | 0.271 |
| 1083/1 | 0.040 |
| 1221 | 0.061 |
| 1083/2 | 0.028 |
| 1046 | 0.012 |
| 1045/1 | 0.057 |
| 1043 | 0.089 |
| 1047/4<br>1047/6 | 0.004 |
| 1042/1 | 0.045 |
| 1040 | 0.121 |
| 1133/1 | 0.154 |
| 1133/3<br>1133/4 | 0.061 |
| 1133/5 | 0.073 |
| 1216 | 0.012 |
| 1219 | 0.012 |
| 1217 | 0.138 |
| 1247 | 0.053 |
| 1249/3 | 0.012 |
| 1244 | 0.206 |
| 1248/2 | 0.024 |
| 1241/3 | 0.073 |
| 1241/1 | 0.146 |
| 1240/1 | 0.004 |
| 1240/4 | 0.004 |
| 1240/5 | 0.012 |
| 1240/7 | 0.004 |
| 1240/3 | 0.020 |
| 1279/2 | 0.032 |
| 1240/2 | 0.024 |
| 1281/1 | 0.045 |
| 1285/2 | 0.016 |
| 1282 | 0.028 |
| 1283<br>1284 | 0.024 |
| 1284/5 | 0.053 |
| 1284/1 | 0.049 |
| 1280/2 | 0.045 |
| 1285/2 | 0.028 |
| 1285/3 | 0.097 |
| 1280/6 | 0.016 |
| 1413/12 | 0.004 |
| 1287/2 | 0.004 |
| 1413/4 | 0.024 |
| 1413/9 | 0.028 |
| 1413/5 | 0.061 |
| 1413/2 | 0.045 |
| 1411/25 | 0.040 |
| 1411/26 | 0.053 |
| 1411/20 | 0.028 |
| 1411/8 | 0.049 |
| 1411/30 | 0.040 |
| 914 | 0.012 |
| 1285/1 | 0.045 |
| 1045/2 | 0.053 |
| योग | 5.411 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-छपोरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 मई 2003

क्र. 675/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-रेड़ा, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.250 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 9 L रेड़ा माइनर | |
| 120/8 | 0.085 |
| 120/7 | 0.004 |
| 120/3 | 0.061 |
| 120/10, 11, 12 | 0.057 |
| 119/3 | 0.073 |
| 119/2 | 0.024 |
| योग 6 | 0.304 |
| 10 L ब्रांच माइनर | |
| 119/5 | 0.036 |
| 119/1 | 0.089 |
| 118 | 0.028 |
| 117/1 | 0.049 |
| 119/4 | 0.020 |
| 117/2 | 0.045 |
| 116/1, 120/1 | 0.012 |
| 116/2, 120/15 | 0.101 |
| 113/1 | 0.028 |
| 112 | 0.049 |
| 111/1 | 0.146 |
| 100/2 | 0.166 |
| 100/1 | 0.146 |
| 98 | 0.101 |
| 96/2, 317/1 | 0.065 |
| 316/1 | 0.081 |
| 316/3 | 0.008 |
| 315/1 | 0.012 |
| 86/2, 88/2 | 0.202 |
| 86/3, 88/3 | 0.097 |
| 86/4, 88/4 | 0.061 |
| 79/8 | 0.024 |
| 79/10 | 0.036 |
| 79/4 | 0.045 |
| 77/1, 78/1 | 0.130 |
| 74/1 | 0.036 |
| 72, 73 | 0.065 |
| 74/3 | 0.036 |
| 74/4 | 0.032 |
| योग 29 | 1.946 |
| कुल योग | 2.250 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रेड़ा माइनर

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 मई 2003

क्र. 676/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बघौद, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.197 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| गिरगिरा माइनर | |
| 3 | 0.101 |
| 4/1 | 0.073 |
| 5/2 | 0.036 |
| 5/1 | 0.036 |
| 5/3 | 0.036 |
| 7/2 | 0.036 |
| 8/1 | 0.036 |
| 11/3 | 0.024 |
| 11/2 | 0.045 |
| 14/1, 15/1 | 0.040 |
| 12/2, 4<br>15/2, 4 | 0.028 |
| 23/1 क | 0.158 |
| 22, 24, 28, 31/1 | 0.089 |
| 23/3, 29 | 0.069 |
| 27/4 | 0.061 |
| 27/3, 32/2 | 0.061 |
| 33 | 0.053 |
| 34 | 0.061 |
| 35/4 | 0.057 |
| 35/3 | 0.016 |
| 47/2, 3 | 0.077 |
| 47/4, 6 | 0.053 |
| 53 | 0.057 |
| 54/4 | 0.028 |
| 58 | 0.020 |
| 67/3 | 0.053 |
| 67/2 | 0.036 |
| 67/4 ख | 0.057 |
| 46 | 0.077 |
| 78 | 0.101 |
| 102 | 0.093 |
| 109/3 | 0.061 |
| 109/2 | 0.016 |
| 114/1 | 0.089 |
| 116 | 0.049 |
| 120 | 0.032 |
| 119/1 | 0.053 |
| 119/2 | 0.049 |
| 149/2 | 0.053 |
| 149/1 | 0.036 |
| 148, 151/2 | 0.061 |
| 151/1 | 0.098 |
| 164/3 | 0.040 |
| 164/2 | 0.142 |
| 165 | 0.045 |
| 152/1 | 0.020 |
| 166/1 | 0.057 |
| 167 | 0.065 |
| 169/2 | 0.134 |
| 933/1 | 0.162 |
| 936/2 | 0.057 |
| 936/1 | 0.020 |
| 934, 935 | 0.158 |
| 930, 931/2 | 0.016 |
| 930, 931/1 | 0.081 |
| 899 | 0.036 |
| 900/1, 2 | 0.073 |
| 898 | 0.028 |
| 901/1 | 0.024 |
| 901/2 | 0.036 |
| 902/1, 903/2 | 0.061 |
| 903/1 | 0.024 |
| 905/1 | 0.020 |
| 906, 907/1 | 0.028 |
| 906,907/4 | 0.012 |
| 906, 907/2 | 0.012 |
| 908/2 | 0.036 |
| 910/2 | 0.028 |
| 912/2 | 0.036 |
| 913 | 0.036 |
| 875/1, 876 | 0.016 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 875/2 | 0.028 |
| 916 | 0.036 |
| 989 | 0.024 |
| 1329/2 | 0.085 |
| 1328 | 0.061 |
| 1323/1 | 0.085 |
| 1324 | 0.053 |
| 1321 | 0.040 |
| 1319 | 0.069 |
| 1318 | 0.032 |
| 1300 | 0.085 |
| 1302 | 0.069 |
| 1303/1 | 0.012 |
| 1303/ 3 ख | 0.069 |
| 1303/ 3 क | 0.077 |
| 1312/2 | 0.170 |
| 1313/1 | 0.073 |
| 1313/2 | 0.049 |
| 1314 | 0.012 |
| 1385 | 0.036 |
| 1384/1 | 0.089 |
| 1384/2 | 0.243 |
| 1388 | |
| योग | 5.365 |

2 L ब्रांच माइनर

| (1) | (2) |
|---|---|
| 54/2 | 0.020 |
| 53 | 0.008 |
| 56 | 0.036 |
| 55/1 | 0.032 |
| 55/2 | 0.032 |
| 205 | 0.069 |
| 215 | 0.061 |
| 216 | 0.004 |
| 213 | 0.028 |
| 214 | 0.020 |
| 211 | 0.061 |
| 210 | 0.085 |
| 207/2 | 0.028 |
| 209 | 0.008 |
| 207 | 0.053 |
| 208/4 | 0.020 |
| 243/3 | 0.065 |
| 243/4 | 0.004 |
| 243/9 | 0.028 |
| 243/8 | 0.008 |
| 238 | 0.065 |
| 239/1 | |
| 236 | 0.049 |
| 238/2 | |
| 305 | 0.032 |
| 306/1, 2, 3 | 0.077 |
| 307 | 0.053 |
| 308/2 | 0.028 |
| 337 | 0.032 |
| 336 | 0.045 |
| 323/2 | 0.071 |
| 324 | |
| 322/2 | 0.020 |
| 321/2 | 0.061 |
| 358/2 | 0.069 |
| 356 | 0.045 |
| 355/2 | 0.040 |
| 354 | 0.065 |
| 352/5 | 0.053 |
| 351/2 | 0.057 |
| 350/2 | 0.050 |
| 350/1 | 0.032 |
| 349/2 | 0.049 |
| 349/3 | 0.024 |
| 382 | 0.065 |
| 384 | 0.053 |
| 383 | 0.008 |
| 385/1 | 0.008 |
| 389/2 | 0.028 |
| 377/1 | 0.028 |
| 377/2 | 0.020 |
| 412/3 | 0.020 |
| 412/1 | 0.032 |
| 415/4 | 0.077 |
| 416/1 | 0.077 |
| 426 | 0.081 |
| 428 | 0.065 |
| 429 | 0.045 |
| 430/4 | 0.032 |
| 430/6 | 0.045 |
| 440 | 0.032 |
| 464/2 | 0.020 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 466 | 0.061 |
| 476 | 0.032 |
| 470 | 0.049 |
| 473 | 0.008 |
| 484/2 | 0.085 |
| 491/1 | 0.016 |
| 491/5 | 0.028 |
| 490 | 0.040 |
| 492/1 | 0.008 |
| 493 | 0.036 |
| 488/1 | 0.020 |
| 486/2 | 0.036 |
| 489 | 0.032 |
| योग | 2.757 |

3 R ब्रांच माइनर

| (1) | (2) |
|---|---|
| 933/1<br>938/1 | 0.073 |
| 936/2 | 0.081 |
| 936/5 | 0.008 |
| 939 | 0.024 |
| 943 | 0.069 |
| 944/4 | 0.012 |
| 944/1 | 0.053 |
| 945/3 | 0.057 |
| 987/1 | 0.089 |
| 987/5 | 0.020 |
| 983/3 | 0.057 |
| 983/5 | 0.077 |
| 983/4 | 0.036 |
| 980/5 | 0.036 |
| योग | 0.692 |

2 L/ 1 R ब्रांच माइनर

| (1) | (2) |
|---|---|
| 360 | 0.045 |
| 308/1 | 0.012 |
| 308/2 | 0.085 |
| 308/4 | 0.024 |
| 329 | 0.065 |
| 327<br>328 | 0.065 |
| 316/1 | 0.012 |
| 316/2 | 0.008 |
| 317/2 | 0.040 |
| 317/3 | 0.040 |
| 321/1 | 0.028 |
| 600/1 | 0.016 |
| 600/4 | 0.081 |
| 599/2 | 0.016 |
| 597/2 | 0.016 |
| 598 | 0.045 |
| 595/1 | 0.049 |
| 622/2 | 0.016 |
| 594/1 | 0.028 |
| 623/1 | 0.024 |
| 553/2 | 0.045 |
| 591/1 | 0.061 |
| 590 | 0.061 |
| 587 | 0.130 |
| 584/3 | 0.065 |
| 583 | 0.036 |
| 577 | 0.154 |
| 576/2 ख | 0.057 |
| 574/2 | 0.077 |
| 575/2 | 0.069 |
| 567 | 0.073 |
| 559 | 0.036 |
| 539/2 | 0.049 |
| 539/3 | 0.070 |
| 538/2 | 0.105 |
| 537/3 | 0.053 |
| 537/8 | 0.073 |
| 537/7 | 0.032 |
| 528/7 | 0.097 |
| 528/8 | 0.077 |
| 528/4 | 0.073 |
| योग 41 | 2.218 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1 आर ब्रांच माइनर | |
| 23/1 ख | 0.024 |
| 23/3 | 0.016 |
| 21/1<br>22/1 | 0.101 |
| 21/2 | 0.024 |
| योग | 0.165 |
| कुल योग | 11.197 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गिरगिरा माइनर, 2 L ब्रांच माइनर, 3 R ब्रांच माइनर, 2 L/1 R ब्रांच माइनर, 1 R ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 मई 2003

क्र. 677/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-सिंघरा, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.798 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर<br>(1) | रकबा (हेक्टेयर में)<br>(2) |
|---|---|
| 865/1 | 0.060 |
| 863 | 0.170 |
| 861/2 | 0.060 |
| 861/1 | 0.076 |
| 842/9 | 0.076 |
| 860/3 | 0.089 |
| 842/13 | 0.109 |
| 842/14 | 0.093 |
| 842/1 | 0.072 |
| 842/8 | 0.052 |
| 842/10 | 0.094 |
| 841 | 0.133 |
| 840/3 | 0.004 |
| 840/4 | 0.093 |
| 840/1 | 0.064 |
| 839/1 | 0.060 |
| 817/9 | 0.109 |
| 817/10 | 0.004 |
| 816/2 | 0.020 |
| 817/2 | 0.076 |
| 823/6 | 0.072 |
| 817/13 | 0.076 |
| 823/5 | 0.044 |
| 823/8 | 0.048 |
| 823/3 | 0.044 |
| योग | 1.798 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-दलालपाली माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 मई 2003

क्र. 678/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-छोटे कोट, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.800 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 253/1, 250/4, 250/2 | 0.230 |
| 250/9 | 0.105 |
| 250/8 | 0.032 |
| 250/10 | 0.060 |
| 247/2 | 0.008 |
| 247/3 | 0.096 |
| 248/2 | 0.004 |
| 230/1 | 0.024 |
| 246 | 0.004 |
| 230/6 | 0.076 |
| 230/2, 245/1 ग | 0.157 |
| 218/3 | 0.004 |
| योग | 0.800 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बड़े कोट माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 मई 2003

क्र. 679/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-कबारीपाली, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.211 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| रेड़ा माइनर | |
| 656/5 | 0.045 |
| 656/1 | 0.117 |
| 655/4, 8, 9 | 0.085 |
| 670/1 | 0.008 |
| 670/3 | 0.004 |
| 688/6 | 0.004 |
| 677/1 | 0.077 |
| 671/2 | 0.020 |
| 671/1 | 0.057 |
| 677/2 | 0.004 |
| 678/1, 679/2 | 0.138 |
| 688/2 | 0.077 |
| 688/1 | 0.016 |
| 659/3 | 0.004 |
| 689, 698/3 | 0.065 |
| 689, 698/2 | 0.040 |
| 689, 698/1 | 0.020 |
| 689, 690/1 | 0.008 |
| 692/2 | 0.036 |
| 692/4 | 0.008 |
| 692/1 | 0.008 |
| 693/1, 694/1 | 0.036 |
| 693/2, 694/2, 695/1 | 0.045 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 695/2 | 0.028 |
| 699/1 | 0.020 |
| 698 | 0.004 |
| 699/2 | 0.020 |
| 699/3 | 0.012 |
| 701/1 | 0.036 |
| 703/5 | 0.012 |
| 703/1 | 0.012 |
| 702/3 | 0.016 |
| 704/1 | 0.020 |
| 700 | 0.016 |
| 705/3 | 0.024 |
| 705/1 | 0.024 |
| 705/2 | 0.024 |
| 706/7 | 0.024 |
| 707 | 0.028 |
| 708/1 | 0.049 |
| 710/1<br>711/6 | 0.040 |
| 711/4 | 0.024 |
| 711/5 | 0.020 |
| 717/2 | 0.016 |
| 717/5 | 0.012 |
| 717/9 | 0.004 |
| 717/1 | 0.008 |
| 717/7 | 0.012 |
| 717/8 | 0.012 |
| 718/10 | 0.016 |
| 718/3 | 0.012 |
| 718/6 | 0.012 |
| 718/10 | 0.020 |
| 730/1, 2 | 0.045 |
| 730/3 | 0.020 |
| 730/4 | 0.020 |
| 730/5 | 0.020 |
| 718/8 | 0.121 |
| 728/4 | 0.004 |
| 718/9<br>719/8 | 0.073 |
| 735/1 | 0.024 |
| 735/2 | 0.040 |
| 736/2, 4, 5 | 0.061 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 472 | 0.004 |
| 470/1, 5<br>471/1 | 0.073 |
| 470/5, 6<br>471/3 | 0.045 |
| 470/7 | 0.040 |
| 468/2 | 0.085 |
| 467 | 0.077 |
| 458/2 | 0.239 |
| 458/1 | 0.130 |
| 456/5 | 0.008 |
| 458/1 | 0.020 |
| 456/4 | 0.125 |
| 456/6 | 0.121 |
| 436/4 ख | 0.008 |
| 436/4 क | 0.069 |
| 436/1 क | 0.016 |
| 436/2 क<br>436/2 ख | 0.093 |
| 436/5 क | 0.061 |
| योग | 3.141 |

2 R ब्रांच माइनर

| (1) | (2) |
|---|---|
| 357/2 | 0.231 |
| 357/1 | 0.008 |
| 354/1, 4<br>353/1<br>351/2 | 0.073 |
| 353/2 | 0.028 |
| 346/1<br>350/1 | 0.077 |
| 345 | 0.053 |
| 344/1 | 0.061 |
| 329/1 | 0.036 |
| 329/2 | 0.040 |
| 328 | 0.045 |
| 327 | 0.093 |
| 326 | 0.061 |
| 325/1 | 0.040 |
| 324/2 | 0.024 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 323/1 | 0.012 |
| 322 | 0.069 |
| 321 | 0.109 |
| 319/3 | 0.085 |
| 312/12, 13 | 0.093 |
| 301/10 | 0.016 |
| 313/1 | 0.008 |
| 325/2 | 0.012 |
| 294/1<br>295/2 | 0.016 |
| 300/1 | 0.024 |
| 300/5 | 0.045 |
| 295/3 | 0.016 |
| योग 26 | 1.375 |

ब्रांच माइनर 5 आर

| (1) | (2) |
|---|---|
| 435/8 | 0.024 |
| 435/7 | 0.032 |
| 436/1 ख | 0.036 |
| 435/6 | 0.028 |
| 434/1 | 0.069 |
| योग 5 | 0.189 |

ब्रांच माइनर 3 एल

| (1) | (2) |
|---|---|
| 655/7, 11 | 0.020 |
| 655/6 | 0.020 |
| 671/2 | 0.008 |
| 672/1 | 0.065 |
| 673 | 0.061 |
| 674/2 | 0.020 |
| 674/1 | 0.032 |
| 675/1 | 0.073 |
| 652/1 | 0.008 |
| 650/1 | 0.069 |
| 650/2 | 0.109 |
| 645/4 | 0.004 |
| 649/1 | 0.061 |
| 649/2 | 0.036 |
| 650/3 | 0.012 |
| 648 | 0.028 |
| 650/4 | 0.008 |
| योग | 0.635 |

5 आर ब्रांच माइनर

| (1) | (2) |
|---|---|
| 458/2 | 0.061 |
| 459 | 0.028 |
| 466/2 | 0.008 |
| 460/1 | 0.049 |
| 461/2 | 0.101 |
| 502/3 | 0.012 |
| 502/5 | 0.020 |
| 502/3 | 0.032 |
| 502/3 | 0.008 |
| 502/1 | 0.040 |
| 503/1 | 0.004 |
| 504/4 | 0.004 |
| 429 | 0.061 |
| 428 | 0.105 |
| 424/2 | 0.036 |
| 423/4 | 0.045 |
| 424/4 | 0.020 |
| 424/5 | 0.036 |
| 123/4 | 0.065 |
| 123/3 | 0.040 |
| 124 | 0.057 |
| 126 | 0.040 |
| 122/1<br>128/1 | 0.166 |
| 75/1, 2 | 0.065 |
| 76/1 | 0.089 |
| 76/2 | 0.004 |
| 73/4 | 0.061 |
| 68/1, 2 | 0.045 |
| 69/1 | 0.061 |
| 69/2 | 0.004 |
| 61/1 | 0.036 |
| 61/4 | 0.045 |
| 61/3 | 0.040 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 59/1 | 0.020 |
| 58/1 | 0.036 |
| 58/2 | 0.085 |
| 54/7 | 0.049 |
| 54/8 | 0.032 |
| 54/9 | 0.024 |
| 54/10 | 0.069 |
| 40/5 | 0.008 |
| 55/4 | 0.004 |
| 55/2 | 0.032 |
| 125 | 0.024 |
| योग | 1.871 |
| कुल योग | 7.211 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रेड़ा माइनर 2 आर ब्रांच माइनर, 3 एल ब्रांच माइनर, 4 आर ब्रांच माइनर, 5 आर ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 24 मई 2003

क्र. 682/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-खरकेना, प. ह. नं. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.268 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| **गिरगिरा माइनर 4 आर, 1 आर ब्रांच माइनर** | |
| 654/2 | 0.044 |
| 654/1 | 0.097 |
| 655/1 | 0.024 |
| 656/3 | 0.081 |
| 656/4 | 0.036 |
| 656/1 | 0.077 |
| 658/1 | 0.056 |
| 659/7 | 0.089 |
| 659/2 | 0.036 |
| 673 | 0.040 |
| 674/4 | 0.064 |
| 674/1 | 0.101 |
| 675 | 0.113 |
| 677/3 | 0.105 |
| 677/5 | 0.004 |
| 678 | 0.130 |
| 681/2 | 0.040 |
| 695/1 | 0.036 |
| 695/2 | 0.036 |
| 696 | 0.036 |
| 682 | 0.008 |
| 732/1 | 0.020 |
| योग | 1.273 |
| **गिरगिरा 4 आर, 1 आर ए ब्रांच माइनर** | |
| 659/7 | 0.044 |
| 659/2 | 0.020 |
| 659/5 | 0.068 |
| 643 | 0.080 |
| 642 | 0.004 |
| 637 | 0.072 |
| 644/2 | 0.008 |
| 638, 639 | 0.048 |
| 644/3 | 0.064 |
| 635/1 | 0.008 |
| 636 | 0.008 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 616/2 | 0.072 |
| 616/3 | 0.028 |
| 616/4 | 0.044 |
| 271/1 | 0.101 |
| 271/2 | 0.052 |
| 272 | 0.113 |
| 599/1 | 0.016 |
| 273/2 | 0.084 |
| 274/2 | 0.012 |
| 275/1 | 0.020 |
| 275/2 | 0.025 |
| 317 | 0.004 |
| योग | 0.995 |
| कुल योग | 2.268 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गिरगिरा माइनर 4 आर, 1 आर ब्रांच माइनर., 4 आर, 1 आर ए ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 24 मई 2003

क्र. 683/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-कंवली, प. ह. नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.074 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| नवापारा उप शाखा वितरक नहर | |
| 1407/1 | 0.044 |
| 1392/6 | 0.150 |
| 1407/2 | 0.036 |
| 1392/8 | 0.072 |
| 1405 | 0.156 |
| 1406 | |
| 1425/1 | |
| 1425/2 | 0.044 |
| 1392/1 | 0.234 |
| 1425/3 | |
| 1336 | 0.008 |
| 1390/1 | 0.134 |
| 1391/1 | |
| 1393 | 0.004 |
| 1392/7 | 0.060 |
| 1383 | 0.121 |
| 1380 | 0.040 |
| 1382 | 0.161 |
| 1381 | 0.040 |
| 1379 | 0.056 |
| 1378/2 | 0.012 |
| 1378/1 | 0.036 |
| 1377 | 0.068 |
| 1378/4 | 0.020 |
| 1378/3 | 0.134 |
| 1346/3 | |
| 1345/2 | 0.020 |
| 1315/2 | 0.064 |
| 1339 | 0.052 |
| 1315/3 | 0.060 |
| 1315/4 | 0.016 |
| 1337 | 0.174 |
| 1334 | 0.080 |
| 1335 | 0.109 |
| 1333/15 | 0.072 |
| 1328/3 | 0.101 |
| 1333/4 | 0.121 |
| 1091/4 | 0.028 |
| 1333/8 | 0.089 |
| 1090/3 | 0.161 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1091/14 | 0.137 |
| 1091/3<br>1091/16 | 0.080 |
| 1091/15 | 0.048 |
| 1091/11 | 0.072 |
| 1091/1 | 0.072 |
| 1104/2 | 0.024 |
| 1105 | 0.364 |
| 1067/2 | 0.036 |
| 760/1 | 0.004 |
| 1065/4 | 0.028 |
| 760/2 | 0.016 |
| 1064/1 | 0.008 |
| 1064/3 | 0.044 |
| 1062/5 | 0.084 |
| 761/6 | 0.044 |
| 1062/4 | 0.036 |
| 804/4 | 0.121 |
| 1062/1 | 0.008 |
| 1062/6 | 0.084 |
| 1060/2 | 0.113 |
| 1060/1 | 0.093 |
| 797 | 0.101 |
| 798 | 0.125 |
| 799 | 0.060 |
| 800/1 | 0.089 |
| 800/2 | 0.076 |
| 803 | 0.174 |
| 804/3 | 0.020 |
| 804/5 | 0.178 |
| 825/1 | 0.129 |
| 826 | 0.226 |
| 829 | 0.157 |
| 846/5 | 0.153 |
| 846/8 | 0.150 |
| 846/15 | 0.016 |
| 845/1 | 0.105 |
| 845/2 | 0.080 |
| 845/3 | 0.105 |
| 846/1 | 0.482 |
| 1108/1 | 0.008 |
| 795/1 | 0.085 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 848/2 | 0.101 |
| 848/3 | 0.080 |
| योग | 6.993 |

5 आर W C

| (1) | (2) |
|---|---|
| 900/1 | 0.105 |
| 901 | 0.101 |
| 902/2 | 0.097 |
| 908 | 0.060 |
| 909/1 | 0.060 |
| 937/1 | 0.060 |
| 938/2 | 0.040 |
| योग | 0.523 |

6 L माइनर

| (1) | (2) |
|---|---|
| 846/1 | 0.425 |
| 846/4 | 0.032 |
| 846/10 | 0.101 |
| योग | 0.558 |
| कुल योग | 8.074 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नवापारा उप शाखा वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-पतरापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.546 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 6/4, 7/7, 8/3, 12/5 | 0.004 |
| 10 | 0.024 |
| 76 | 0.117 |
| 11 | 0.024 |
| 73/1 | 0.049 |
| 95, 438 | 0.097 |
| 74 | 0.069 |
| 77/1 | 0.036 |
| 75/5 | 0.020 |
| 77/2 | 0.049 |
| 90/5 | 0.057 |
| 90/13 | 0.032 |
| 91/1 | 0.089 |
| 96/2 | 0.162 |
| 91/436 | 0.008 |
| 95/437 | 0.036 |
| 97/1 | 0.012 |
| 97/3 | 0.117 |
| 100/1, 100/3, 100/11 | 0.069 |
| 111/11 | 0.012 |
| 111/6 | 0.089 |
| 111/15 | 0.065 |
| 111/9 | 0.093 |
| 111/4 | 0.049 |
| 111/13 | 0.081 |
| 111/8 | 0.081 |
| 111/12 | 0.020 |
| 111/1 | 0.146 |
| 9 | 0.049 |
| 116 | 0.049 |
| 117 | 0.069 |
| 119/7 | 0.223 |
| 119/3 | 0.036 |
| 119/5 | 0.077 |
| 119/1 | 0.024 |
| 115/1 | 0.057 |
| 115/2 | 0.073 |
| 119/8 | 0.049 |
| 111/5 | 0.133 |
| योग 39 | 2.546 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-मदनपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.553 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 219 | 0.097 |
| 220, 221 | 0.073 |
| 222/2 | 0.040 |
| 223, 224/2 (1) | 0.008 |
| 225/1 | 0.198 |
| 225/3 | 0.158 |
| 223, 224/2 (2) | 0.020 |
| 225/2 | 0.154 |
| 230/3, 236/2, 230/333 | 0.300 |
| 148, 231 | 0.154 |
| 161/4 | 0.113 |
| 150/1 | 0.457 |
| 156/1 क | 0.126 |
| 156/1 घ | 0.113 |
| 162/2 | 0.121 |
| 161/3 | 0.117 |
| 161/7 | 0.134 |
| 35, 36/1 | 0.190 |
| 74/4 | 0.243 |
| 77/2 | 0.073 |
| 232 | 0.020 |
| 75 | 0.032 |
| 78, 79 | 0.065 |
| 42/3 | 0.267 |
| 66 | 0.097 |
| 32/1 | 0.073 |
| 34/1 | 0.049 |
| योग | 3.553 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-बरगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.138 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 224/2 | 0.045 |
| 225/3 | 0.085 |
| 225/2 | 0.008 |
| योग | 0.138 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-तिऊर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.340 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 168/37 | 0.028 |
| | 168/39 | 0.049 |
| | 168/13 | 0.162 |
| | 168/17 | 0.040 |
| | 168/40 | 0.061 |
| योग | 5 | 0.340 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-अंजोरीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.712 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 245 | 0.004 |
| | 246/1 | 0.077 |
| | 247 | 0.020 |
| | 248 | 0.004 |
| | 298 | 0.154 |
| | 307/1 | 0.097 |
| | 307/2 | 0.182 |
| | 299 | 0.065 |
| | 300 | 0.105 |
| | 308 | 0.004 |
| योग | 10 | 0.712 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-भैनापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.079 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 330/1, 335/1 | 0.093 |
| 332/1 | 0.053 |
| 332/5 | 0.077 |
| 332/4 | 0.036 |
| 332/2 | 0.016 |
| 303/3 | 0.032 |
| 305/1 | 0.081 |
| 304 | 0.101 |
| 303/2 | 0.040 |
| 273/1 क | 0.150 |
| 367/5 | 0.065 |
| 376 | 0.061 |
| 367/3 | 0.040 |
| 372/1 | 0.113 |
| 370/5, 371/2 | 0.093 |
| 371/1 | 0.028 |
| योग 16 | 1.079 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-करूमौहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.324 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 75/452, 75/453 | 0.324 |
| योग | 0.324 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-सोनबरसा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.647 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 20/3 | 0.146 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 20/2 | 0.028 |
| 17/3 | 0.057 |
| 19 | 0.166 |
| 20/1 ग | 0.004 |
| 23 | 0.016 |
| 24/2 | 0.040 |
| 24/1 | 0.032 |
| 24/6 | 0.093 |
| 34/2 | 0.008 |
| 36 | 0.041 |
| 37 | 0.016 |
| योग 12 | 0.647 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बासनपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.387 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 296/3, 297/1 | 0.065 |
| 296/1 घ, 296/1 ङ | 0.040 |
| 296/2 | 0.032 |
| 251/1 | 0.040 |
| 251/2 | 0.016 |
| 254/3 | 0.020 |
| 271/1, 271/2 (4) | 0.130 |
| 252/1 | 0.004 |
| 257/1 | 0.012 |
| 255 | 0.069 |
| 179/1, 179/2 | 0.130 |
| 179/3 | 0.073 |
| 256 | 0.150 |
| 258/2 | 0.109 |
| 175/3 | 0.032 |
| 175/1 | 0.109 |
| 258/1 | 0.053 |
| 259 | 0.008 |
| 176 | 0.028 |
| 177/2, 178/2 | 0.045 |
| 177/1, 178/1 | 0.113 |
| 175/2 | 0.101 |
| 142/2 | 0.008 |
| योग 23 | 0.387 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) ज़िला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-बानीपाथर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.844 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 213/1 | 0.083 |
| 314/1 | 0.085 |
| 246/1 | 0.061 |
| 253 | 0.049 |
| 214/3 | 0.008 |
| 249/1 ग | 0.049 |
| 267/8 | 0.016 |
| 566 | 0.109 |
| 585 | 0.065 |
| 250/1 क/1 | 0.081 |
| 251 | 0.198 |
| 252 | 0.093 |
| 249/1 ख | 0.089 |
| 346/1 | 0.020 |
| 267/4 | 0.182 |
| 267/6 | 0.012 |
| 267/1 | 0.114 |
| 269/2 | 0.101 |
| 269/3 | 0.202 |
| 268/2 | 0.040 |
| 270 | 0.020 |
| 315/3 | 0.227 |
| 315/4 | |
| 315/1 | |
| 315/5 | |
| 340/2 | 0.008 |
| 340/1 | 0.012 |
| 341/1 | 0.040 |
| 307/1 | 0.121 |
| 341/2 | |
| 343/2 | |
| 341/3 | |
| 342/2 | 0.024 |
| 343/1 | |
| 344/1 | |
| 345 | |
| 344/2 | |
| 346/2 | |
| 558/2 | 0.020 |
| 562 | 0.170 |
| 233 | 0.020 |
| 558/1 | 0.016 |
| 564/2 | 0.012 |
| 349/1 | 0.129 |
| 353 | |
| 352 | 0.093 |
| 563/1 | 0.073 |
| 563/2 | 0.065 |
| 563/3 | 0.012 |
| 556/2 | 0.049 |
| 556/3 | 0.040 |
| 556/1 | 0.085 |
| 557/7 | |
| 348 | 0.049 |
| 565/3 | 0.049 |
| 586/1 | 0.073 |
| 232/1 | 0.012 |
| 231/2 | |
| 565/4 | 0.028 |
| 587 | 0.045 |
| 584 | 0.081 |
| योग 49 | 3.844 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 35/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-बानीपाथर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.389 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
| --- | --- |
| (1) | (2) |
| 155/2 | 0.109 |
| 145/4 | 0.057 |
| 154 | 0.004 |
| 156/1 | 0.028 |
| 155/1 | 0.133 |
| 146/1 | 0.028 |
| 135/1 | 0.028 |
| 147 | 0.028 |
| 136 | 0.004 |
| 148 | 0.081 |
| 145/5 | 0.057 |
| 145/2 | 0.089 |
| 145/6 | |
| 145/1 | 0.057 |
| 143/3 | |
| 136/1 | 0.097 |
| 90/1 | 0.061 |
| 134/2 | 0.053 |
| 134/1 | 0.024 |
| 133 | 0.077 |
| 132/12 | 0.065 |
| 132/16 | 0.081 |
| 88 | 0.049 |
| 89 | 0.045 |
| 90/ 2क | 0.061 |
| 95 | 0.065 |
| 96 | 0.008 |
| योग 25 | 1.389 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 36/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-पामगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.964 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
| --- | --- |
| (1) | (2) |
| 293/2 | 0.053 |
| 294/1 | 0.146 |
| 295 | |
| 378/1 | |
| 300/2 | 0.012 |
| 300/543 | 0.016 |
| 294/2 | 0.117 |
| 378/2 | |
| 300/1 | 0.004 |
| 296 | 0.020 |
| 299/1 | 0.142 |
| 299/2 | 0.081 |
| 375/1 | 0.081 |
| 376/2 | 0.049 |
| 377/2 | 0.077 |
| 381 | 0.032 |
| 382/1 | |
| 382/2 | |
| 382/3 | |
| 372 | 0.134 |
| योग 14 | 0.964 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 37/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य सन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के द (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-भेलवाडीह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.680 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 140/2 | 0.113 |
| | 141 | 0.044 |
| | 145/2 | 0.008 |
| | 142/3 | 0.146 |
| | 144/1 | 0.158 |
| | 145/1 | 0.081 |
| | 146 | 0.053 |
| | 147/2 | 0.077 |
| योग | 8 | 0.680 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 38/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-बासमुड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.101 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 39 | 0.089 |
| | 40/1 | 0.142 |
| | 33/1 | 0.065 |
| | 33/2 | 0.041 |
| | 32 | 0.113 |
| | 29 | 0.089 |
| | 30 | 0.150 |
| | 71/1 | 0.182 |
| | 71/2 | 0.109 |
| | 70/1 | 0.101 |
| | 115/1 | 0.020 |
| योग | 11 | 1.101 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 39/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-पतरापाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 119/7 | 0.008 |
| 119/4 | 0.077 |
| योग 2 | 0.085 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 40/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-आमाडोल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.297 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 7/4 | 0.025 |
| 57/4 | 0.019 |
| 36/1 | 0.028 |
| 36/2 | |
| 56/1 | 0.020 |
| 39/1 | 0.022 |
| 43/3 | 0.004 |
| 48/6 | 0.008 |
| 45/1 | 0.014 |
| 46 | 0.097 |
| 45/2 | 0.010 |
| 57/8 | 0.002 |
| 63/3 | 0.008 |
| 64/2 | 0.004 |
| 63/4 | 0.012 |
| 64/4 | |
| 65/2 | 0.020 |
| 43/2 | 0.004 |
| योग 16 | 0.297 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 41/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-ठुसेकेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.603 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकवा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 585/1 | 0.122 |
| 585/3 | |
| 585/5 | |
| 585/6 | |
| 583/2 | 0.020 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 575/1 | 0.049 |
| 575/2 | 0.036 |
| 572/1 | 0.032 |
| 574 | 0.036 |
| 573/1 | 0.065 |
| 554/4 ख | 0.158 |
| 554/2 | 0.081 |
| 582 | 0.004 |
| योग 10 | 0.603 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 42/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-छोटे देवगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.144 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 6 | 0.004 |
| 20 | 0.077 |
| 18/2 | 0.016 |
| 81/1 | 0.012 |
| 84/1 | 0.017 |
| 86/1 | 0.004 |
| 87/1 | 0.008 |
| 86/2 | 0.006 |
| योग 8 | 0.144 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 43/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-मकरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.996 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 36 | 0.004 |
| 248 | 0.094 |
| 256/1 | 0.074 |
| 249/1 | 0.087 |
| 44/1 | 0.024 |
| 44/4 | 0.024 |
| 45 | 0.050 |
| 50 | 0.020 |
| 46 | 0.121 |
| 47/1 | 0.028 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 48/1 | 0.053 |
| 246 | 0.017 |
| 245 | 0.012 |
| 247/4 | 0.040 |
| 249/1 | 0.087 |
| 226/2 | 0.121 |
| 254 | 0.130 |
| योग 17 | 0.996 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 44/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-खरसिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.495 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 201/1, 201/3, 202/1 | 0.101 |
| 201/2 ग/1 | 0.024 |
| 201/2 ग/2 | 0.032 |
| 201/2 ग/3 | 0.004 |
| 201/4 | 0.077 |
| 201/2 क | 0.121 |
| 203/3 | 0.049 |
| 202/2 | 0.210 |
| 202/5 | 0.053 |
| 203/6 | 0.020 |
| 203/1 | 0.089 |
| 203/5 | 0.069 |
| 203/7 | 0.024 |
| 203/8 | 0.045 |
| 203/10 | 0.036 |
| 232/2 | 0.032 |
| 232/3 | 0.036 |
| 235/4 | 0.138 |
| 232/5 | 0.045 |
| 203/7 | 0.024 |
| 232/11 | 0.032 |
| 232/7 | 0.012 |
| 233/2 | 0.024 |
| 235/6 | 0.069 |
| 235/1 क | 0.097 |
| 235/2 | 0.032 |
| योग 26 | 1.495 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 45/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-कुकरीझरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.769 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 36, 15 | 0.190 |
| 17 | 0.125 |
| 30 | 0.069 |
| 29/1, 31/1 | 0.057 |
| 44, 49 | 0.235 |
| 55 | 0.109 |
| 57, 58 | 0.028 |
| 140, 146 | 0.202 |
| 143, 144 | 0.057 |
| 16/2 | 0.061 |
| 16/1 | 0.065 |
| 67/3 | 0.061 |
| 142/3 | 0.105 |
| 62/3, 66/5 | 0.053 |
| 16/3 | 0.016 |
| 67/2 | 0.032 |
| 48 | 0.073 |
| 67/1 | 0.016 |
| 62/2, 66/3, 66/4 | 0.004 |
| 137/1 | 0.065 |
| 60, 61 | 0.016 |
| 138 | 0.073 |
| 139 | 0.057 |
| योग 23 | 1.769 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 46/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-तिऊर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.335 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 40/2 | 0.016 |
| 40/1 | 0.113 |
| 39/2 | 0.085 |
| 120/1 | 0.073 |
| 39/1 | 0.073 |
| 828/2 | 0.065 |
| 37/1 | 0.020 |
| 37/7 | 0.089 |
| 38 | 0.126 |
| 35/2 | 0.008 |
| 35/1 | 0.065 |
| 474 | 0.125 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 917<br>1181 | 0.012 | 826 | 0.134 |
| | | 435 | 0.227 |
| 1246/2 | 0.138 | 862 | 0.138 |
| 35/3 | 0.040 | 1178 | 0.053 |
| 429/1 | 0.036 | 1217 | 0.093 |
| 472/1 | 0.113 | 827 | 0.008 |
| 828/1 | 0.085 | 825 | 0.012 |
| 1245/3 | 0.049 | 821/1 | 0.109 |
| 120/2 | 0.008 | 821/2 | 0.045 |
| 1195/2 | 0.040 | 803/2 | 0.089 |
| 119/1 | 0.097 | 885 | 0.024 |
| 121/1 | 0.053 | 1074/2 | 0.089 |
| 116/2 | 0.073 | 1172/4 | 0.012 |
| 116/1 | 0.109 | 1196 | 0.040 |
| 129/10 | 0.093 | 1204 | 0.049 |
| 822/5 | 0.109 | 1212/3 | 0.016 |
| 128/2 | 0.130 | 1239 | 0.089 |
| 128/3 | 0.073 | 1241 | 0.053 |
| 122/3 | 0.142 | 429/3 | 0.004 |
| 122/1 | 0.077 | 472/2 | 0.008 |
| 121/2 | 0.093 | 431 | 0.166 |
| 511 | 0.008 | 465/4 | 0.008 |
| 510 | 0.134 | 448/3 | 0.101 |
| 1074/1 | 0.057 | 884/2 | 0.012 |
| 1074/3 | 0.016 | 886 | 0.016 |
| 434/1 | 0.036 | 884/1 | 0.032 |
| 1073/3 | 0.008 | 892/23 | 0.040 |
| 1073/2 | 0.081 | 924/3 | 0.012 |
| 1063 | 0.065 | 924/2 | 0.053 |
| 858/4<br>858/5 | 0.053 | 923 | 0.028 |
| | | 915 | 0.085 |
| 864/4 | 0.053 | 918<br>920<br>921<br>922/2<br>922/1 | 0.142 |
| 820/2 | 0.008 | | |
| 1238/3 | 0.004 | | |
| 859/5 | 0.032 | | |
| 860/5 | 0.045 | | |
| 860/1 | 0.069 | 929 | 0.008 |
| 860/2 | 0.048 | 1208 | 0.049 |
| 970/3 | 0.008 | 930 | 0.036 |
| 969/1 | 0.036 | 1180/3 | 0.032 |
| 863 | 0.008 | 1176 | 0.121 |
| 861/1 | 0.028 | 1179/1 | 0.016 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1177/1 | 0.016 |
| 1177/2 | 0.028 |
| 1179/2 | 0.008 |
| 1175/2 | 0.012 |
| 1171/2 | 0.085 |
| 1172/2 | 0.053 |
| 1172/3 | 0.032 |
| 1207 | 0.036 |
| 1205<br>1206 | 0.040 |
| 1218 | 0.016 |
| 664/2 | 0.045 |
| 1245/4 | 0.154 |
| 475/2 | 0.093 |
| 473/1 | 0.045 |
| 465/1 | 0.077 |
| 465/3 | 0.061 |
| 970/1 | 0.028 |
| 864/1 | 0.032 |
| योग 107 | 6.335 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 47/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-खैरपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 171/2 | 0.016 |
| 171/3 | 0.012 |
| 310/3 | 0.004 |
| योग 3 | 0.032 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 48/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बेन्दोझरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.154 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 247/1 | 0.053 |
| 242<br>243 | 0.101 |
| योग 2 | 0.154 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 50/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम- पथरापाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.257 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 39/2 | 0.008 |
| 329 | 0.017 |
| 8/1, 12/1 | 0.177 |
| 9 | 0.038 |
| 263/1 | 0.008 |
| 269/2 | 0.020 |
| 269/7 | 0.028 |
| 377/7 | 0.033 |
| 13/2 | 0.016 |
| 13/4 | 0.097 |
| 37/2 | 0.020 |
| 38/3 | 0.004 |
| 59/3 | 0.009 |
| 229/3 | 0.004 |
| 234/1, 282 | 0.088 |
| 377/6 | 0.018 |
| 218/3, 42 | 0.005 |
| 44/2 | 0.020 |
| 59/2 | 0.012 |
| 211 | 0.017 |
| 212, 221, 222 | 0.028 |
| 216 | 0.028 |
| 217 | 0.029 |
| 372 | 0.081 |
| 239/1 | 0.016 |
| 266 | 0.004 |
| 269/1 | 0.014 |
| 275/1 | 0.008 |
| 370/1 | 0.105 |
| 276/1 | 0.053 |
| 343 | 0.004 |
| 374/4 | 0.013 |
| 347/6 | 0.174 |
| 269/6 | 0.061 |
| योग 34 | 1.257 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 51/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-बोतल्दा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.115 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 438/2 | 0.057 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 438/3 | 0.016 |
| 424/4 | 0.004 |
| 353/8 | 0.016 |
| 456/3 | 0.061 |
| 455 | 0.073 |
| 457/2 | 0.032 |
| 451/1 ग | 0.081 |
| 357/8 | 0.283 |
| 358 | 0.040 |
| 357/9 | 0.279 |
| 359/4 | 0.263 |
| 360/1 | 0.235 |
| 436/1 | 0.547 |
| 457/1 | 0.101 |
| 418/2 | 0.198 |
| 419/3 | |
| 419/7 | 0.045 |
| 443/2 | |
| 419/1 | 0.036 |
| 419/6 | 0.036 |
| 424/1 | 0.397 |
| 424/5 | |
| 424/2 | 0.097 |
| 424/3 | 0ड211 |
| 424/7 | 0.154 |
| 353/3 | 0.008 |
| 437/1 | 0.109 |
| 437/2 | |
| 437/3 | 0.012 |
| 456/2 | 0.081 |
| 457/4 | 0.020 |
| 457/5 | |
| 461/1 | |
| 462/1 | 0.179 |
| 459/1 | 0.024 |
| 460/4 | 0.036 |
| 459/2 | 0.097 |
| 460/5 | 0.028 |
| 359/3 | 0.259 |
| योग 34 | 4.115 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया खाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 52/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-भदरीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.364 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 31/1 | 0.101 |
| 39/1 | 0.040 |
| 40/1 | 0.085 |
| 33 | 0.036 |
| 34/2 | 0.053 |
| 34/3 | 0.004 |
| 36/1 | 0.029 |
| 37 | 0.004 |
| 39/2 | 0.004 |
| 39/3 | 0.008 |
| योग 10 | 0.364 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 53/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-छोटे देवगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.598 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 59/2 | 0.008 |
| 102/2 | 0.045 |
| 103/1 | 0.081 |
| 107/2 | 0.020 |
| 60/1 | 0.024 |
| 60/2 | 0.049 |
| 235/7 | 0.105 |
| 235/8 | |
| 64/1 | 0.016 |
| 324/2 | 0.024 |
| 64/3 | 0.109 |
| 166 | 0.008 |
| 169 | 0.036 |
| 65 | 0.198 |
| 66/1 | 0.061 |
| 66/2 | 0.134 |
| 66/3 | |
| 105/3 | 0.004 |
| 68/1 | 0.174 |
| 68/2 | 0.124 |
| 81/1 | 0.089 |
| 235/6 | 0.198 |
| 253/7 | |
| 253/8 | |
| 106 | 0.093 |
| 107/1 | 0.045 |
| 131/4 | 0.020 |
| 133/1 | |
| 121 | 0.097 |
| 132 | 0.077 |
| 340/1 घ | 0.004 |
| 122 | 0.097 |
| 139 | 0.061 |
| 142/1 | 0.053 |
| 328/2 | 0.105 |
| 140/3 | 0.089 |
| 168/1 | 0.004 |
| 143/1 | 0.008 |
| 143/2 | |
| 234/1 | 0.077 |
| 319/4 | 0.312 |
| 319/5 | |
| 321 | |
| 324/1 | 0.016 |
| 149 | 0.069 |
| 151 | 0.089 |
| 150 | 0.053 |
| 162/1 | 0.093 |
| 163/1 | |
| 254/6 | 0.020 |
| 162/7 | 0.008 |
| 163/4 | 0.032 |
| 162/10 | 0.016 |
| 254/2 | |
| 162/11 | 0.008 |
| 253/5 | 0.032 |
| 163/5 | 0.020 |
| 167 | 0.065 |
| 235/6 | 0.085 |
| 131/12 | 0.036 |
| 340/2 घ | 0.178 |
| 171/1 घ | 0.008 |
| 171/3 | 0.081 |
| 172/1 | 0.089 |
| 173 | 0.077 |
| 233 | 0.004 |
| 234/2 | 0.004 |
| 234/4 | 0.061 |
| 235/3 | 0.057 |
| 235/4 | |
| 235/5 | 0.036 |
| 236 | 0.012 |
| 238 | 0.081 |
| 253/9 | 0.049 |
| 253/2 | 0.028 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 253/10 | 0.028 |
| 253/11<br>253/13 | 0.008 |
| 319/2<br>323 | 0.040 |
| 325 | 0.020 |
| 320/1 | 0.008 |
| 328/1 | 0.138 |
| 339/2 | 0.182 |
| 339/1 | 0.065 |
| 319/1 | 0.012 |
| 320/2 | 0.020 |
| योग 75 | 4.598 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 54/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-आडाझर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.091 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 121<br>122/1 | 0.097 |
| 122/3 | 0.016 |
| 122/2 | 0.202 |
| 120/2 | 0.093 |
| 44/2 | 0.024 |
| 44/1 | 0.053 |
| 41/2 | 0.316 |
| 42 | 0.146 |
| 41/3 | 0.053 |
| 51/2 | 0.032 |
| 51/1 | 0.130 |
| 40 | 0.028 |
| 39 | 0.097 |
| 18/2 | 0.024 |
| 38 | 0.032 |
| 19/1 | 0.085 |
| 30/4 | 0.121 |
| 20/7 | 0.020 |
| 20/5 | 0.032 |
| 26/3 | 0.308 |
| 27/2 | 0.077 |
| 27/1 | 0.036 |
| 26/1 | 0.069 |
| योग 23 | 2.091 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 55/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-छोटे डुमरपाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.302 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 2 | 0.170 |
| 3 | 0.093 |
| 6 | 0.016 |
| 39 | 0.065 |
| 7 | 0.214 |
| 40 | 0.016 |
| 31 | 0.028 |
| 36 | 0.158 |
| 8/1 | 0.036 |
| 20 | 0.053 |
| 41 | 0.053 |
| 8/2 | 0.032 |
| 32 | 0.049 |
| 26/1 | 0.085 |
| 9/2 | 0.121 |
| 11 | 0.166 |
| 356/2 | 0.016 |
| 13 | 0.028 |
| 14/2 | 0.061 |
| 10 | 0.008 |
| 25/2 | 0.032 |
| 24 | 0.097 |
| 25/1 | 0.016 |
| 18 | 0.049 |
| 23 | 0.008 |
| 19 | 0.004 |
| 21 | 0.045 |
| 17 | 0.105 |
| 16 | 0.024 |
| 22 | 0.012 |
| 33/4 | 0.020 |
| 37 | 0.016 |
| 204 | 0.162 |
| 38 | 0.057 |
| 339/1 | 0.045 |
| 207/7 | 0.061 |
| 339/14 | 0.170 |
| 339/17 | 0.174 |
| 171 | 0.028 |
| 339/4 | 0.150 |
| 207/8 | 0.085 |
| 208 | 0.049 |
| 211 | 0.194 |
| 339/18 | 0.259 |
| 339/3 | 0.231 |
| 339/2 | 0.162 |
| 339/10 | 0.016 |
| 361 | 0.182 |
| 338 | 0.021 |
| 360 | 0.182 |
| 359 | 0.054 |
| 356/1 | 0.077 |
| 356/3 | 0.020 |
| 370/1 | 0.016 |
| योग 54 | 4.302 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 56/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-बसनाझर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.129 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 363/2 | 0.129 |
| योग 1 | 0.129 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 72/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-सरवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.791 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 26/2 | 0.065 |
| 27/1 | 0.061 |
| 27/2 | 0.093 |
| 26/1 | 0.065 |
| 29/1 | 0.065 |
| 31 | 0.105 |
| 28 | 0.157 |
| 30/1 | 0.008 |
| 30/2 | 0.008 |
| 35/3 | 0.149 |
| 36 | 0.230 |
| 47/1 | 0.145 |
| 44/1 | 0.065 |
| 44/8 | 0.036 |
| 44/6 | 0.121 |
| 472, 473 | 0.076 |
| 520/2 | 0.012 |
| 44/2 | 0.089 |
| 42 | 0.133 |
| 478/1 | 0.13 |
| 478/2 | 0.081 |
| 480/1 | 0.162 |
| 522/2 | 0.174 |
| 520/1 | 0.101 |
| 509/5 | 0.097 |
| 509/2 | 0.137 |
| 508 | 0.121 |
| 509/1 | 0.053 |
| 507/3 | 0.069 |
| योग 30 | 2.791 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सुबोध कुमार सिंह**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2003

क्रमांक 30/भू-अर्जन/2002-03/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-बिलाईगढ़
(ग) नगर/ग्राम-गधाभाठा, प. ह. नं. 14
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.839 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 260/7 | 0.061 |
| 260/1 | 0.037 |
| 260/2 | 0.024 |
| 237/1 | 0.057 |
| 233 | 0.012 |
| 234 | 0.267 |
| 209/1 | 0.024 |
| 209/3 | 0.028 |
| 209/2 | 0.024 |
| 208 | 0.089 |
| 206/1 | 0.016 |
| 206/2 | 0.016 |
| 205 | 0.098 |
| 203/1 | 0.021 |
| 237/2 | 0.065 |
| 237/3 | |
| 237/4 | |
| 237/5 | |
| 237/6 | |
| 237/7 | |
| 237/8 | |
| योग 15 | 0.839 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक शाखा नहर क्र. 25.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2003

क्रमांक 31/भू-अर्जन/2002-03/अ-82.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-बिलाईगढ़
(ग) नगर/ग्राम-जोरा, प. ह. नं. 14
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.218 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 165 | 0.065 |
| 166 | 0.012 |
| 163 | 0.061 |
| 169/3 | 0.020 |
| 170 | 0.081 |
| 161/2 | 0.008 |
| 171 | 0.061 |
| 162 | 0.053 |
| 172/2 | 0.049 |
| 173/1 | 0.041 |
| 173/2 | 0.020 |
| 173/3 | 0.020 |
| 173/4 | 0.020 |
| 137/5 | 0.020 |
| 178/3 | 0.185 |
| 178/6 | 0.110 |
| 182/2 | 0.057 |
| 110 | 0.150 |
| 111 | 0.008 |
| 109 | 0.061 |
| 108 | 0.061 |
| 107 | 0.202 |
| 76/14 | 0.016 |
| 76/15 | 0.121 |
| 76/2 | 0.107 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 560/1 | 0.033 |
| 561 | 0.012 |
| 563/1 | 0.041 |
| 563/3 | 0.040 |
| 563/4 | 0.016 |
| 564 | 0.004 |
| 573 | 0.135 |
| 588/1 | 0.016 |
| 589 | 0.069 |
| 591 | 0.101 |
| 587 | 0.089 |
| योग 36 | 2.218 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक टेल शाखा नाली निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2003

क्रमांक 32/भू-अर्जन/2002-03/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गिरवानी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.655 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 391/2 | 0.024 |
| 423/1 | 0.036 |
| 423/2 | 0.016 |
| 424/7 | 0.053 |
| 424/6 | 0.028 |
| 428/4 | 0.024 |
| 428/5 | 0.069 |
| 424/5 | 0.009 |
| 428/2 | 0.012 |
| 428/3 | 0.049 |
| 428/1 | 0.049 |
| 431/1 | 0.028 |
| 431/2 | 0.061 |
| 345/7 | 0.024 |
| 345/3 | 0.116 |
| 328 | 0.053 |
| 347/2 | 0.046 |
| 350 | 0.061 |
| 352/1 | 0.041 |
| 352/4 | 0.030 |
| 353/2 | 0.049 |
| 354/2 | 0.045 |
| 329/2 | 0.069 |
| 327/1 | 0.024 |
| 327/2 | 0.016 |
| 327/3 | 0.028 |
| 319/3 | 0.202 |
| 319/2 | 0.231 |
| 298/3 | 0.008 |
| 303 | 0.049 |
| 304/1 | 0.045 |
| 304/3 | 0.036 |
| 298/1 | 0.012 |
| 304/4 | 0.008 |
| 357/1 | 0.008 |
| योग 35 | 1.655 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक शाखा नहर क्र. 21 का उप शाखा नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2003

क्रमांक 33/भू-अर्जन/2002-03/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-चिकनीडीह, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.649 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 652 | 0.032 |
| 655 | 0.081 |
| 685 | 0.061 |
| 732 | 0.041 |
| 656 | 0.012 |
| 682/2 | 0.004 |
| 604 | 0.081 |
| 682/1 | 0.033 |
| 682/4 | 0.065 |
| 734/2 | 0.041 |
| 746/3 | 0.020 |
| 731 | 0.005 |
| 733 | 0.061 |
| 808 | 0.057 |
| 825 | 0.157 |
| 745/2 | 0.041 |
| 810/2 | 0.036 |
| 745/3 | 0.049 |
| 744/2 | 0.016 |
| 744/1 | 0.012 |
| 755 | 0.004 |
| 654/2 | 0.008 |
| 747 | 0.061 |
| 751 | 0.097 |
| 757/1 | 0.061 |
| 757/2 | 0.016 |
| 824 | 0.016 |
| 756 | 0.016 |
| 811/1 | 0.033 |
| 820 | 0.008 |
| 807/2 | 0.033 |
| 807/3 | 0.016 |
| 809 | 0.069 |
| 822 | 0.061 |
| 821 | 0.036 |
| 829/1 | 0.012 |
| 829/3 | 0.068 |
| 875/2 | 0.024 |
| 829/4 | 0.089 |
| 828/1, 2, 3, 4 | 0.016 |
| योग 40 | 1.649 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक शाखा नहर क्र. 25.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2003

क्रमांक 34/भू-अर्जन/2002-03/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-ओटगन, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.223 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
| --- | --- |
| (1) | (2) |
| 92/1<br>97/2 | 0.048 |
| 140 | 0.021 |
| 113/3 | 0.109 |
| 113/12 | 0.124 |
| 82/2<br>86/5 | 0.069 |
| 82/1 | 0.128 |
| 121 | 0.098 |
| 135/9 | 0.093 |
| 135/10 | 0.092 |
| 135/11 | 0.024 |
| 135/6 | 0.033 |
| 150/3 छ | 0.008 |
| 236/2 | 0.041 |
| 113/9 | 0.046 |
| 113/7 | 0.049 |
| 82/4 | 0.121 |
| 80/3 | 0.019 |
| 81 | 0.123 |
| 82/5 | 0.037 |
| 135/13 | 0.098 |
| 138/1 | 0.013 |
| 150/3 ख | 0.021 |
| 150/3 ट | 0.027 |
| 144 | 0.008 |
| 142 | 0.020 |
| 146<br>147 | 0.025 |
| 148 | 0.005 |
| 143<br>145 | 0.185 |
| 178 | 0.110 |
| 149 | 0.045 |
| 179/1 | 0.127 |
| 236/1 | 0.130 |
| 237/1 | 0.120 |
| योग 33 | 2.223 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक नहर अंतिम शाखा नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2003

क्रमांक 35/भू-अर्जन/2002-03/अ-82.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सलौनीकला, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.515 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
| --- | --- |
| (1) | (2) |
| 1823 | 0.089 |
| 17/82/1 थ<br>1813/2 | 0.032 |
| 1822 | 0.053 |
| 1821/2 | 0.026 |
| 1819/5 | 0.008 |
| 1820/3 | 0.028 |
| 1819/4 | 0.008 |
| 1819/2 | 0.036 |
| 1819/1 | 0.028 |
| 1819/3 | 0.021 |
| 1819/7 | 0.036 |
| 1819/8 | 0.021 |
| 1814/1 | 0.032 |
| 1766/2 | 0.032 |
| 1766/3 | 0.053 |
| 1824/1-2 | 0.012 |
| योग 16 | 0.515 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक शाखा नहर क्र. 25.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2003

क्रमांक 37/भू-अर्जन/2002-03/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-जुनवानी, प. ह. नं. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.831 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 76/1 | 0.008 |
| 77 | 0.008 |
| 62 | 0.081 |
| 78/1 | 0.020 |
| 78/2 | 0.049 |
| 78/3 | 0.037 |
| 59/3 | 0.012 |
| 84/2 | 0.016 |
| 83/1 | 0.024 |
| 83/2 | 0.021 |
| 83/5 | 0.008 |
| 83/4 | 0.024 |
| 85 | 0.065 |
| 90/2 | 0.049 |
| 90/3 | 0.020 |
| 91/1 | 0.033 |
| 91/2 | 0.033 |
| 92 | 0.065 |
| 37 | 0.151 |
| 86/4 | 0.013 |
| 86/5 | 0.037 |
| 86/6 | 0.045 |
| 86/7 | 0.012 |
| योग 23 | 0.831 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक खपरीडीह शाखा नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2003

क्रमांक 38/भू-अर्जन/2002-03/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् १९94) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-ओटगन, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.134 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 143<br>145 | 0.028 |
| 142 | 0.020 |
| 141/2 | 0.041 |
| 141/3 | 0.012 |
| 17/2 | 0.061 |
| 16/6 | 0.065 |
| 16/5 | 0.032 |
| 16/6 | 0.016 |
| 16/3 | 0.008 |
| 16/2 | 0.004 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 182 | 0.033 |
| 184 | 0.013 |
| 183 | 0.183 |
| 186 | 0.090 |
| 187 | 0.012 |
| 185/1 | 0.089 |
| 185/2 | 0.085 |
| 185/3 | 0.073 |
| 185/4 | 0.033 |
| 185/5 | 0.020 |
| 188 | 0.073 |
| 189 | 0.041 |
| 192/1 | 0.049 |
| 192/2 | 0.053 |
| योग 24 | 1.134 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक शाखा नहर क्र. 26.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2003

क्रमांक 39/भू-अर्जन/2002-03/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जुनवानी, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.903 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 70/1 | 0.092 |
| 69/2 | 0.175 |
| 76/1 | 0.097 |
| 76/2 | 0.012 |
| 77 | 0.081 |
| 79 | 0.121 |
| 242/1 | 0.145 |
| 239/5 | 0.085 |
| 212/2 | 0.008 |
| 212/3 | 0.040 |
| 282 | 0.016 |
| 213/2 | 0.049 |
| 213/3 | 0.057 |
| 211/1 | 0.057 |
| 211/4 | 0.166 |
| 211/3 | 0.045 |
| 211/5 | 0.008 |
| 211/6 | 0.041 |
| 268/8 | 0.041 |
| 268/9 | 0.008 |
| 241 | 0.008 |
| 242/3 | 0.152 |
| 239 | 0.012 |
| 257 | 0.045 |
| 258 | 0.045 |
| 259/1 | 0.121 |
| 260 | 0.081 |
| 281 | 0.073 |
| 276 | 0.266 |
| 277 | 0.012 |
| 270/1 | 0.012 |
| 268/6 | 0.020 |
| 268/19 | 0.041 |
| 268/7 | 0.081 |
| 268/11 | 0.110 |
| 268/14 | 0.061 |
| 381/1 | 0.049 |
| 381/2 | 0.024 |
| 268/13 | 0.012 |
| 268/20 | 0.121 |
| 988 | 0.016 |
| 380 | 0.008 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 382/3 | 0.041 |
| 381/926 | 0.140 |
| 383 | 0.056 |
| 75/1 | 0.012 |
| योग 46 | 2.903 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक अंतिम शाखा नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी विलाईगढ़ . के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अमिताभ जैन,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 5 मार्च 2003

क्रमांक 11/अ-82/भू-अर्जन/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1) सन् 1894 की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-झाल, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.52 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 451 | 0.55 |
| 452 | 0.70 |
| 453 | 1.27 |
| योग | 2.52 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झाल जलाशय के डूबान में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेमेतरा में निरीक्षण किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक 1032/प्र.अ.वि.अ./2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (एक) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-लिटिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.81 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1099 | 2.49 |
| 1110 | 1.24 |
| 1050 | 0.55 |
| 1050 | 0.26 |
| 1081 | 0.67 |
| 1089 | 2.90 |
| 1111 | 0.76 |
| 1066 | 0.94 |
| योग | 9.81 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तुमाखुर्द जलाशय के लिये.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय दुर्ग में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आई. सी. पी. केशरी,** कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.